UPAU010014372017

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, औरैया

उपस्थितः–**पारूल जैन, (उच्चतर न्यायिक सेवा)** J.O. Code UP–2391

सत्र परीक्षण संख्या–52 सन 2017

उत्तर प्रदेश राज्य...अभियोजन पक्ष।

बनाम

1. भान सिंह पुत्र छोटे नाथू सिंह निवासी जाजपुर थाना अजीतमल, औरैया। **(मृतक)**
2. पप्पू उर्फ वीर सिंह पुत्र छोटे नाथू सिंह निवासी जाजपुर थाना अजीतमल, औरैया।
3. निर्भय सिंह पुत्र दर्शन सिंह निवासी जाजपुर थाना अजीतमल, औरैया।

.... अभियुक्तगण

मुकदमा अपराध संख्या–17/2009
धारा–302 सपठित धारा 120 बी भा०दं०सं०
थाना–अजीतमल, जनपद–औरैया।

एवं

UPAU010014392017

सत्र परीक्षण संख्या–53 सन 2017

उत्तर प्रदेश राज्य...अभियोजन पक्ष।

बनाम

1. पप्पू उर्फ वीर सिंह पुत्र छोटे नाथू सिंह निवासी जाजपुरा थाना अजीतमल जिला औरैया।

.... अभियुक्त

मुकदमा अपराध संख्या–145/2009
धारा–25 शस्त्र अधिनियम
थाना–अजीतमल, जनपद–औरैया।

निर्णय

1. अभियुक्तगण **भान सिंह व निर्भय सिंह** के विरूद्ध आरोप पत्र एवं अभियुक्त **पप्पू उर्फ वीर सिंह** के विरूद्ध मफरूरी में आरोपपत्र अन्तर्गत धारा–**302/120 बी भारतीय दण्ड संहिता** के तहत पुलिस थाना–**अजीतमल**, जिला–**औरैया** द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, औरैया के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, औरैया द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।

2. अभियुक्त **पप्पू उर्फ वीर सिंह** के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा-**25 शस्त्र अधिनियम** के तहत पुलिस थाना-**अजीतमल**, जिला-औरैया द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, औरैया के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, औरैया द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।

Digitally signed by PARUL JAIN
Date: 2026.07.09 15:45:46 IST
Reason: Document Owner
Location: Additional District and
Sessions Court-1,Auraiya

3. अभियुक्तगण **भान सिंह व निर्भय सिंह एवं पप्पू उर्फ वीर सिंह** के विरूद्ध मामला सत्र परीक्षणीय होने के कारण सत्र न्यायालय के सुपुर्द किये जाने पर एवं अपराध संख्या 145/2009 अन्तर्गत धारा 25 शस्त्र अधिनियम बनाम **पप्पू उर्फ वीर सिंह** का मामला अपराध संख्या 17/2009 अन्तर्गत धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता से सम्बन्धित होने के कारण सत्र न्यायालय के सुपुर्द किये जाने पर संस्थित किया गया है। उपरोक्त दोनों सत्र परीक्षण एक ही अपराध से सम्बन्धित होने के कारण उक्त दोनों वादों की पत्रावलियों को तत्कालीन अपर सत्र न्यायाधीश -प्रथम, औरैया द्वारा आदेश दिनांकित 17.11.2017 से इकजाई किया गया उक्त वादों की पत्रावली माननीय सत्र न्यायालय के आदेश दिनांकित 31.08.2022 के द्वारा इस न्यायालय में स्थानान्तरण हुई है तथा इन पत्रावलियों का विचारण इस न्यायालय में किया जा रहा है।

4. संक्षेप में, अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी देबेन्द्र सिंह पुत्र नत्थू सिंह निवासी जाजपुर थाना अजीतमल का रहने वाला है। आज दिनांक 28.01.2009 को उसका बड़ा भाई महावीर सिंह घर से करीब 6 बजे शाम अपने खेत पर गया था। साथ में उसके चाचा रामसनेही पुत्र हरभजन सिंह साथ में थे जब वे लोग श्री राजू सिंह पुत्र हुकुम सिंह के खेत पर पहुंचे तो सामने से भान सिंह पुत्र छोटे नाथू सिंह आ गये तथा उसके भाई महावीर से कहने लगे कि वह पुलिस की मुखबिरी करता है वह उसकी वजह से जेल जाता रहा है। आज उसे नहीं छोड़ेगा तथा अपने हाथ में लिये कट्टे से उसके भाई के ऊपर कई फायर किये जिससे उसकी मौके पर मृत्यु हो गयी। वे लोग भय के कारण भागकर खेतों में छुप गये जब भान सिंह मौके से भाग गया तब सूचना को आया है। उसके भाई की लाश मौके पर पड़ी है।

5. उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना अजीतमल में मुकदमा अपराध संख्या−17 सन 2009 अन्तर्गत धारा−302 भारतीय दण्ड संहिता में भान सिंह के विरूद्ध पंजीकृत हुआ तथा प्रकरण के विवेचक द्वारा दौरान विवेचना संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण भान सिंह, पप्पू उर्फ वीर सिंह व निर्भय सिंह का नाम प्रकाश में आया। प्रकरण के विवेचक द्वारा सम्पूर्ण विवेचना के उपरान्त पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण भान सिंह, पप्पू उर्फ वीर सिंह व निर्भय सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा−302/120 बी भारतीय दण्ड संहिता का न्यायालय प्रेषित किया गया।

6. आरोप पत्र प्रेषित होने के उपरान्त दिनांक−30.05.2009 को तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, औरैया द्वारा अभियुक्तगण भान सिंह, पप्पू उर्फ वीर सिंह एवं निर्भय सिंह के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया गया। अभियुक्त **भान सिंह** की मृत्यु हो चुकी है जिस कारण न्यायालय के आदेश दिनांकित 30.01.2017 के द्वारा अभियुक्त भान सिंह के विरूद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित (अबेट) की जा चुकी है।

7. प्रस्तुत मामले में अभियुक्त पप्पू उर्फ वीर सिंह से एक अदद तमंचा 315 बोर व दो अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर(आलाकतल) बरामद की गयी। उक्त बरामदगी से सम्बन्धित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं−दिनांक 09.07.09 को वह एस.एस.आई. विजय कुमार सिंह मय हमराही का० 145 वीर बहादुर व का० 419 सुहेब आलम सिद्दकी मय जीप सरकारी UP 79 G 008 मय चालक राम औतार के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, औरैया के आदेश दिनांक 08.07.09 के अनुसार जिला जेल इटावा में निरूद्ध अभियुक्त पप्पू उर्फ वीर सिंह पुत्र छोटे नाथू सिंह निवासी जाजपुर थाना अजीतमल औरैया को लेने जिला कारागार इटावा पहुंचा न्यायालय के आदेश से अभियुक्त पप्पू उर्फ वीर सिंह को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया व जिला कारागार से 11.30 बजे रवाना हुआ और थाना अजीतमल आ रहा था कि रास्ते में ही अभियुक्त पप्पू उर्फ वीर सिंह ने पूछताछ पर अपने पूर्व बयान का समर्थन करते हुये बताया कि दिनांक 28.01.09 को उसने अपने भाई भान सिंह के साथ महावीर को उसके खेत के पास गोली मारकर हत्या कर दी थी। उक्त हत्या में प्रयुक्त कट्टा उसने ग्राम सिकरौढ़ी के जंगल में छिपा दिया था। आप उसे वहां ले चले वह उन्हें तमंचा व कारतूस दे देता है। अभियुक्त की बात को विश्वास करके वह एस.एस.आई. मय हमराही फोर्स के साथ अभियुक्त के सीधे सिकरौड़ी जंगल के पास आया तथा ड्राइवर को छोड़कर वे सभी लोग गाड़ी से उतर गये तब

अभियुक्तप पप्पू उर्फ वीर सिंह आगे आगे चल दिया और वह एस.एस.आई. मय हमराही कर्मचारीगण के उसके पीछे चल दिये। अभियुक्त पप्पू सिकरौड़ी जंगल के नाले के रास्ते रामेश्वर पुत्र मंगलीप्रसाद निवासी सिकरौड़ी थाना अजीतमल के खेत के मेड़ के किनारे शीशम के पेड़ के नीचे समय करीब 14.30 बजे पहुंच कर रूक गया तथा इधर उधर टहल कर एक जगह की मिट्टी खोदकर हटाई व जमीन में गड़ा हुआ तमंचा 315 बोर व दो अदल कारतूस 315 बोर एक मोमिया में लिपटा हुआ निकाल कर दिया और बताया कि यह वही तमंचा है जो उसने महावीर की हत्या में प्रयोग किया था। दौरान बरामदगी जंगल में जानवर चराने वाले लोग आ गये थे उनसे नाम पता पूछा गया व गवाही देने के कहा गया तो कोई भी व्यक्ति नाम पता नहीं बताया न ही गवाही को तैयार हुआ। अतः वह एस.एस.आई. बरामद तमंचे को व कारतूस को मोमिया से अलग किया। बरामद तमंचे का हुलिया नाल लोहे की लम्बाई आठ अंगुल वाडी लोहे की लम्बाई पांच अंगुल बेंटी लोहे की जिस पर लकड़ी की चाँप दोनों तरफ लगी है। तमंचे की नाल को खोलने के लिये ट्रेगर के आगे एक ट्रेगर लगा है। तमंचे में ट्रेगर व फायर पिन व फायर हैमर लगा है। तमंचा चालू हालत में है। बरामद कारतूस दोनों 315 के जिन्दा कारतूस पीतल के है। अभियुक्त का यह जुर्म धारा 25 ए एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः अभियुक्त को जुर्म से अवगत कराया गया। बरामद तमंचा व कारतूस को मौके पर ही एक कपड़े में रखकर सिलकर सर्व मुहर किया गया। दौराने बरामदगी मानवाधिकार में दिये गये निर्देशों का पालन किया गया। फर्द मौके पर लिखकर हमराही कर्मचारीगण को व अभियुक्त को सुनाकर अलामात बनवाये जा रहे है एवं फर्द की एक प्रति अभियुक्त को दी जा रही है व नमूना सील तैयार किया गया।

8. उपरोक्त फर्द बरामदगी के आधार पर थाना अजीतमल में मुकदमा अपराध संख्या –145 सन 2009 अन्तर्गत धारा–25 शस्त्र अधिनियम में अभियुक्त पप्पू उर्फ वीर सिंह के विरुद्ध पंजीकृत हुआ तथा प्रकरण के विवेचक द्वारा दौरान विवेचना संकलित साक्ष्य के आधार पर सम्पूर्ण विवेचना के उपरान्त पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त पप्पू उर्फ वीर सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–25 शस्त्र अधिनियम का न्यायालय प्रेषित किया गया।

9. आरोप पत्र प्रेषित होने के उपरान्त दिनांक–25.08.09 को तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, औरैया द्वारा अभियुक्त पप्पू उर्फ वीर सिंह के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया गया।

10. मुकदमा अपराध संख्या 17/2009 में अभियुक्तगण पप्पू उर्फ वीर सिंह व निर्भय सिंह को धारा 207 दं०प्र०सं० के तहत अभियोजन प्रपत्र उपलब्ध कराये गये।

11. मुकदमा अपराध संख्या 145/2009 में अभियुक्त पप्पू उर्फ वीर सिंह को धारा 207 दं०प्र०सं० के तहत अभियोजन प्रपत्र उपलब्ध कराये गये।

12. तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, औरैया के न्यायालय से दिनांक–30.01.2017 को उपरोक्त दोनों वादों की पत्रावली सत्र न्यायालय को सत्र सुपुर्द की गयी।

13. अभियुक्तगण के सत्र न्यायालय में उपस्थित होने पर तत्कालीन विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 05.05.2017 को सत्र परीक्षण संख्या 52/2017 में अभियुक्तगण **पप्पू उर्फ वीर सिंह व निर्भय सिंह** के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा–302 सपठित धारा 120 बी भारतीय दण्ड संहिता का विरचित किया गया तथा दिनांक 05.05.2017 को ही सत्र परीक्षण संख्या 53/2017 में अभियुक्त **पप्पू उर्फ वीर सिंह** के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा–25 शस्त्र अधिनियम का विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया और विचारण की मांग की।

14. अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित आरोप को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी०डब्लू०–1 देवेन्द्र सिंह, पी०डब्लू०–2 रामसनेही, पी०डब्लू०–3 शिववीर सिंह, पी०डब्लू०–4 गुलाब सिंह, पी०डब्लू०–5 छोटे, पी०डब्लू०–6 महताब सिंह, पी०डब्लू०–7 जयवीर सिंह, पी०डब्लू०–8 एस.आई. वीर बहादुर सिंह, पी०डब्लू०–9 डॉ० ओमप्रकाश,

पी०डब्लू०–10 रिटायर्ड I/O कृष्णानन्द, पी०डब्लू०–11 सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक श्रीकृष्ण, पी०डब्लू०–12 उपनिरीक्षक सर्वेश कुमार व पी०डब्लू०–13 एस.आई. विजेन्द्र सिंह भदौरिया को प्रस्तुत किया गया तथा अभिलेखीय साक्ष्य में तहरीर प्रार्थी कागज संख्या 4 क/2 प्रदर्श क–1, प्रार्थनापत्र कागज संख्या 11 क/1 प्रदर्श क–2 को पी०डब्लू०–1 ने साबित किया है। पंचायतनामा कागज संख्या 8 क/1 लगायत 8 क/2 प्रदर्श क–3, फर्द बावत लेने एक खोखा कारतूस 315 बोर व एक कारतूस का बुलट(अगला हिस्सा) कागज संख्या 7 क/1 प्रदर्श क–4, फर्द लेने कब्जा मिट्टी खून आलूदा व सादा मिट्टी सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या 17/09 धारा 302 भा.दं.सं. थाना अजीतमल जिला औरैया कागज संख्या 7 क/2 प्रदर्श क–5 को पी०डब्लू०–6 ने साबित किया है। सम्बन्धित सत्र परीक्षण संख्या 53/17 में फर्द बरामदगी कागज संख्या 4 क/2 प्रदर्श क–5 को पी०डब्लू०–8 ने साबित किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कागज संख्या 10 क/1 लगायत 10 क/2 प्रदर्श क–6 को पी०डब्लू०–9 ने साबित किया है। आरोपपत्र कागज संख्या 3 क/1 प्रदर्श क–7 को पी०डब्लू०–10 ने साबित किया है। चिट्ठी आर.आई. कागज संख्या 9 क/1 प्रदर्श क–8, चिट्ठी सी.एम.ओ. कागज संख्या 9 क/2 प्रदर्श क–9, फोटोलाश कागज संख्या 9 क/3 प्रदर्श क–10, चालानलाश कागज संख्या 9 क/4 प्रदर्श क–11 व नक्शा नजरी कागज संख्या 13 क/1 प्रदर्श क–12 को पी०डब्लू०–11 ने साबित किया है। सम्बन्धित सत्र परीक्षण संख्या 53/17 में प्रथम सूचना रिपोर्ट कागज संख्या 4 क/1 प्रदर्श क–8, मूल जी.डी. की कार्बन प्रति कागज संख्या 6 क/1 प्रदर्श क–9 को पी०डब्लू०–12 ने साबित किया है। सम्बन्धित सत्र परीक्षण संख्या 53/17 में नक्शा नजरी कागज संख्या 8 क/1 प्रदर्श क–10, आरोपपत्र कागज संख्या 3 क प्रदर्श क–11, कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, औरैया का आदेश कागज संख्या 9 क/1 प्रदर्श क –12 को पी०डब्लू०–13 ने साबित किया है। सत्र परीक्षण संख्या 52/2017 में प्रथम सूचना रिपोर्ट कागज संख्या 4 क/1 प्रदर्श क–13 व कायमी जी.डी. की कार्बन प्रति कागज संख्या 6 क/1 प्रदर्श क–14 को पी०डब्लू०–13 ने साबित किया है।

<u>साक्षी की सूची</u>

क्रम सं.	साक्षी का नाम	संक्षिप्त विवरण	साक्षी की भूमिका
1.	देबेन्द्र सिंह	वादी मुकदमा	इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि पत्रावली में 4 क/2 जो तहरीर है गवाह को पढ़कर सुनाई व दिखायी तो गवाह ने कहा ये वही तहरीर है जो उसने राजा सिंह से लिखवायी थी और थाना अजीतमल में जाकर दी थी और पुलिस ने उसका मुकदमा पंजीकृत किया था जिस पर उसमें उसका नाम व उसके पिताजी का नाम लिखा हुआ है वह उसकी तस्दीक करता है जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया।
2.	रामसनेही	गवाह	इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि राजू के खेत पर भान सिंह आ गया तब महावीर से कहा कि वह उसकी मुखबिरी करता है। इतने में भान सिंह ने गोली मार दी अकेले भान सिंह थे और कोई नहीं था। हाजिर अदालत मुल्जिम पप्पू उर्फ वीर सिंह व निर्भय सिंह ने उसके भतीजे महावीर सिंह के गोली नहीं मारी न घटनास्थल पर थे।
3.	शिववीर सिंह	गवाह	इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि दिनांक 01.02.2009 को निर्भय सिंह उसके पास नहीं आये थे तथा उसे यह भी जानकारी नहीं है कि भान सिंह व महावीर दोनों दोस्त थे। हाजिर अदालत मुल्जिम निर्भय सिंह व पप्पू उर्फ वीर सिंह उसके पास नहीं आये थे और न ही उसे महावीर की हत्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है और न निर्भय सिंह ने आके इस घटना के सम्बन्ध में षडयंत्र कराने में उससे कोई बात की थी।
4.	गुलाब सिंह	गवाह	इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि 28.01.2009 को

			शाम 6 बजे न भान सिंह व पप्पू उर्फ वीर सिंह मिला था, क्योंकि वह गांव में नहीं था। उसके गांव के महावीर की हत्या उसके सामने नहीं हुयी थी क्योंकि घटना के समय वह गांव में नहीं था। घटना के सम्बन्ध में उसे कोई दरोगाजी नहीं मिले थे और न ही उसका कोई बयान लिया था।
5.	छोटे	गवाह	इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि दिनांक 28.01.2009 को उसे पता चला कि उसके गांव के महावीर की हत्या बदमाशों ने कर दी है। उसने उस समय फायर की आवाज नहीं सुनी थी और न उस दिन उसके पास से उसका भाई भान सिंह व उसका भाई पप्पू वीर सिंह नहीं निकला था न ही महावीर के कत्ल में निर्भय सिंह का कोई हाथ नहीं है और न ही उसका कोई षडयंत्र है।
6.	महताब सिंह	गवाह पंचायतनामा	इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि दिनांक 29.01.2009 को शव का पंचायतनामा की कार्यवाही उसके समक्ष सम्पादित की गयी थी। वह उसमें पंचनान नियुक्त किया गया था। पंचायतनामा शामिल पत्रावली कागज संख्या 1 लगायत 2 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है जिसकी वह पुष्टि करता है जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। विवेचक ने मृतक के शव के पास से एक खोखा कारतूस 315 बोर व एक अदद बुलट जिसमें खोल लगा था कब्जे में लिया था। फर्द मौके पर तैयार की थी। फर्द शामिल पत्रावली 7 क/1 पर उसके हस्ताक्षर मौजूद है जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया तथा विवेचक ने घटना स्थल से खून आलूदा व सादा मिट्टी दो डब्बों में लेकर सर्व मोहर किया था जिस पर उसके हस्ताक्षर बनवाये थे जिस पर बने अपने हस्ताक्षरों की पुष्टि करता है जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया।
7.	जयवीर सिंह	गवाह	इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि हाजिर अदालत मुल्जिम पप्पू उर्फ वीर सिंह, निर्भय ने उसके भाई की हत्या नहीं की और न ही निर्भय सिंह ने उसके भाई को मारने में षडयंत्र रचा। दरोगाजी ने उसके बयान नहीं लिये थे।
8.	वीर बहादुर सिंह	एस.आई.	इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि दिनांक 09.07.2009 को जेल में निरूद्ध अभियुक्त पप्पू उर्फ वीर सिंह को लेने जिला कारागार इटावा पहुंचा तथा अजीतमल आ रहा था तो रास्ते में पप्पू उर्फ वीर सिंह ने बताया कि तमंचा सिकरोरी के तरफ नाले के किनारे किसी खेत में रामेश्वर के मेढ़े के किनारे शीशम के पेड़ खड़ा हुआ था तो एक अदद तमंचा व कारतूस पन्नी में लिपटे हुये बरामद हुए। वह फर्द पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 4 क/2 के रूप में संलग्न है जो एस.एस.आई. विजय कुमार सिंह के हस्तलेख हस्ताक्षर में है जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। आला कतल तमंचा 315 बोर व दो अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर का सीलबण्डल आज न्यायालय के समक्ष मौजूद है, खोला तो सीलबण्डल के अन्दर से एक तमंचा 315 बोर व दो कार्टेज जिन्दा 315 बोर निकले। एस.एस.आई. विजय कुमार सिंह द्वारा ही अपराध संख्या 145/2009 अन्तर्गत धारा 25 ए एक्ट बनाम पप्पू उर्फ वीर सिंह की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी थी। एस.एस.आई. विजय कुमार सिंह उसके साथ तैनात रहे है। उसने उनको लिखते पढ़ते देखा है, वह उनके

			हस्तलेख व हस्ताक्षर की पहचान करता है। प्रदर्श क–5 एस.एस.आई. विजय कुमार सिंह के हस्तलेख व हस्ताक्षर में है।
9.	ओमप्रकाश	डॉक्टर/ पोस्टमार्टमकर्ता	इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि वह दिनांक 29.01.2009 को उसकी ड्यूटी P.M. हाउस इटावा पर लगी थी। उसी दिनांक को थाना अजीतमल जनपद औरैया से C.P. 304 मंशाराम H.G. 298 चन्द्रभान बाजपेयी मृतक महावीर सिंह पुत्र नाथू सिंह निवासी जगपुर अजीतमल जिला औरैया का सीलबन्द शव P.M.कराने हेतु उसके पास आये थे। मृत्यु का कारण अत्यधिक खून बहने एवं सदमें से हुयी थी। वह PM रिपोर्ट मृतक महावीर सिंह पत्रावली कागज सँख्या 10क/1 के रूप में आज उसके सामने है जिसकी वह पहचान व पुष्टि करता है जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया। PM कराने वाले पुलिस वाले मृतक के शव के साथ अन्य प्रपत्र जिनमें पंचायतनामा, चिट्ठी आर.आई., चिट्ठी CM, फोटोलाश, चालान लाश, FIR की कार्बन प्रति लाये थे जो पत्रावली पर आज उसके सामने है जिन पर उसने हस्ताक्षर बनाये थे जिनकी वह पहचान व पुष्टि करता है।
10.	कृष्णानन्द	रिटायर्ड विवेचक	इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि दिनांक 02.02.2009 को उसने थाना हाजा पर पंजीकृत अपराध संख्या–17/2009 अंतर्गत धारा 302 IPC की विवेचना ग्रहण कर दिनांक– 18.05.2009 तक की थी। उसने अपनी विवेचना में सी. डी. पर्चा 5 लगायत सी. डी. के पर्चा 24 तक किता करके आरोप पत्र प्रेषित किया था। दौरान विवेचना अभियुक्तगण पप्पू उर्फ वीर सिंह पुत्र छोटे नत्थू सिंह व निर्भय सिंह पुत्र दर्शन सिंह व अभियुक्त मृतक भान सिंह पुत्र छोटे नत्थू सिंह के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अंतर्गत धारा 302 120 IPC में आरोप पत्र संख्या– 59/2009 दिनांक 18.05.2009 को प्रेषित किया था, वह आरोप पत्र पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या–3 क/1 के रुप में आज उसके सामने है जिसकी वह जरिये वी. सी. पहचान पुष्टि करता है जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया।
11.	श्रीकृष्ण	सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक	इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि दिनांक 28.01.2009 को पंजीकृत अपराध संख्या–17/2009 बनाम मान सिंह अंतर्गत धारा–302 IPC की विवेचना ग्रहण कर दिनांक 30.01.2009 तक की थी। उसने अपनी विवेचना में सी. डी. पर्चा 01 लगायत सी. डी. के पर्चा 03 तक किता किये थे। वह नकशा नजरी पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 13 क/1 के रुप में द्वारा वी. सी. आज उसके सामने है, जिस पर प्रदर्श क– 12 डाला गया। इसके उपरांत इस प्रकरण की विवेचना उसके स्थानान्तरण के कारण अन्य विवेचक के द्वारा की गयी।
12.	सर्वेश कुमार	उपनिरीक्षक	इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि दिनांक 09.07.2009 को उसने फर्द बरामदगी को शब्द व शब्द अंकित कर चिक FIR संख्या 130/2009 किता करके मुकदमा अपराध संख्या 145/2009 बनाम पप्पू उर्फ वीर सिंह पुत्र छोटे नाथू सिंह अन्तर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम में कायम किया था व चिक FIR इस प्रकरण से सम्बन्धित ST

			No. 53/2017 पर मौजूद कागज संख्या 4 क/1 के रूप में आज उसके सामने है जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया। इस प्रकरण का खुलासा उसने जी.डी. के रपट नं. 34 समय 16.35 बजे दिनांक 09.07.2009 को मूल के साथ कार्बन लगाकर एक ही प्रक्रिया में अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में किया था।
13.	विजेन्द्र सिंह भदौरिया	उपनिरीक्षक	इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि दिनांक 09.07.2009 को थाना अजीतमल जनपद औरैया पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 145/2009 बनाम पप्पू उर्फ वीर सिंह अन्तर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम की विवेचना ग्रहण कर दिनांक 20.08.2009 को विवेचना पूर्ण की थी। उसने अपनी विवेचना में सी.डी. के परचा प्रथम लगायत सी.डी. के परचा तीन व SCD प्रथम किता किया था।

<u>प्रदर्शित दस्तावेजों की सूची</u>

क्रम सं.	प्रदर्श संख्या	दस्तावेजों का विवरण	वह साक्षी जिसने दस्तावेज को सत्यापित या प्रमाणित किया
1.	प्रदर्श क–1 प्रदर्श क–2	तहरीर प्रार्थी कागज संख्या 4 क/2 प्रार्थनापत्र कागज संख्या 11 क/1	पी०डब्लू०–1 देवेन्द्र सिंह
2.	प्रदर्श क–3 प्रदर्श क–4 प्रदर्श क–5	पंचायतनामा कागज संख्या 8 क/1 लगायत 8 क/2 फर्द बावत लेने एक खोखा कारतूस 315 बोर व एक कारतूस का बुलट(अगला हिस्सा) कागज संख्या 7 क/1 फर्द लेने कब्जा मिट्टी खून आलूदा व सादा मिट्टी सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या 17/09 धारा 302 भा.दं.सं. थाना अजीतमल जिला औरैया कागज संख्या 7 क/2	पी०डब्लू०–6 महताब सिंह
3.	प्रदर्श क–5	सम्बन्धित सत्र परीक्षण संख्या 53/17 में फर्द बरामदगी कागज संख्या 4 क/2	पी०डब्लू०–8 वीर बहादुर सिंह
4.	प्रदर्श क–6	पोस्टमार्टम रिपोर्ट कागज संख्या 10 क/1 लगायत 10 क/2	पी०डब्लू०–9 ओमप्रकाश
5.	प्रदर्श क–7	आरोपपत्र कागज संख्या 3 क/1	पी०डब्लू०–10 कृष्णानन्द
6.	प्रदर्श क–8 प्रदर्श क–9 प्रदर्श क–10 प्रदर्श क–11 प्रदर्श क–12	चिट्ठी आर.आई. कागज संख्या 9 क/1 चिट्ठी सी.एम.ओ. कागज संख्या 9 क/2 फोटोलाश कागज संख्या 9 क/3 चालानलाश कागज संख्या 9 क/4 नक्शा नजरी कागज संख्या 13 क/1	पी०डब्लू०–11 श्रीकृष्ण
7.	प्रदर्श क–8	सम्बन्धित सत्र परीक्षण संख्या 53/17 में प्रथम सूचना रिपोर्ट कागज संख्या 4 क/1	पी०डब्लू०–12 सर्वेश कुमार

	प्रदर्श क–9	मूल जी.डी. की कार्बन प्रति कागज संख्या 6 क/1	
8.	प्रदर्श क–10 प्रदर्श क–11 प्रदर्श क–12	सम्बन्धित सत्र परीक्षण संख्या 53/17 में नक्शा नजरी कागज संख्या 8 क/1 आरोपपत्र कागज संख्या 3 क कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, औरैया का आदेश कागज संख्या 9 क/1	पी०डब्लू०–13 विजेन्द्र सिंह भदौरिया
9.	प्रदर्श क–13 प्रदर्श क–14	सत्र परीक्षण संख्या 52/2017 में प्रथम सूचना रिपोर्ट कागज संख्या 4 क/1 कायमी जी.डी. की कार्बन प्रति कागज संख्या 6 क/1	पी०डब्लू०–13 विजेन्द्र सिंह भदौरिया

<u>भौतिक वस्तुओं/प्रदर्शित वस्तुओं की सूची</u>

क्रम सं.	भौतिक वस्तुएं/प्रदर्शित संख्या	वस्तु का वर्णन	द्वारा सिद्ध किया गया/द्वारा प्रमाणित
1.(i) (ii) (iii)	वस्तु प्रदर्श–1 वस्तु प्रदर्श–2 व 3 वस्तु प्रदर्श–4	कट्टा दोनों कार्टेज सीलबण्डल कपड़े	पी०डब्लू०–8 वीर बहादुर सिंह
2.(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix)	वस्तु प्रदर्श–5 वस्तु प्रदर्श–6 वस्तु प्रदर्श–7 वस्तु प्रदर्श–8 वस्तु प्रदर्श–9 वस्तु प्रदर्श–10 वस्तु प्रदर्श–11 वस्तु प्रदर्श–12 वस्तु प्रदर्श–13	बुलेट खोखा कारतूस शीलबण्डल कपड़ा मिट्टी डिब्बा शीलबण्डल कपड़ा सादा मिट्टी डिब्बा कपड़े	पी०डब्लू०–11 श्रीकृष्ण

15. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्तगण **पप्पू उर्फ वीर सिंह एवं निर्भय सिंह** का बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांक 01.06.2026 को अंकित किया गया। अपने धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों में अभियुक्त **पप्पू उर्फ वीर सिंह** द्वारा प्रश्न संख्या–1 के उत्तर में कथन किया गया है कि उसे जानकारी नहीं है। प्रश्न संख्या–2 के उत्तर में कथन किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसका नाम नहीं है। कागज संख्या 11 क/1 में उसका नाम आया है। देवेन्द्र ने अपने बयान में कथन किया है कि उसका नाम नहीं लिखाया है पुलिस ने देवेन्द्र के हस्ताक्षर करवा लिये थे। प्रश्न संख्या–3, 4, 5 व 6 के उत्तर में कथन किया है कि कुछ नहीं कहना। प्रश्न संख्या–7 के उत्तर में कथन किया है कि उसे कोई जानकारी नहीं है। प्रश्न संख्या–8 के उत्तर में कथन किया है कि कुछ नहीं कहना। प्रश्न संख्या –9 के उत्तर में कथन किया है कि सब फर्जी कार्यवाही थाने में बैठकर की। उससे कोई तमंचा व कारतूस बरामद नहीं हुआ है। प्रश्न संख्या–10 के उत्तर में कथन किया है कि जानकारी नहीं है। प्रश्न संख्या –11 के उत्तर में कथन किया है कि फर्जी विवेचना करके गलत आरोपपत्र दाखिल किया है। प्रश्न संख्या –12 के उत्तर में कथन किया है कि फर्जी विवेचना की है। प्रश्न संख्या –13 के उत्तर में कथन किया है कि एन्टी टाईम प्रथम सूचना

रिपोर्ट दर्ज की गयी है। प्रश्न संख्या–14 के उत्तर में कथन किया है कि वादी मुकदमा एस.एस.आई. के पद पर तैनात थे। उनके मार्गदर्शन पर एस.आई. विजेन्द्र सिंह भदौरिया ने फर्जी विवेचना की। गलत आरोपपत्र उसके विरूद्ध लगाया है। प्रश्न संख्या–15 के उत्तर में कथन किया है कि गांव की पार्टीबन्दी व पुलिस ने झूठा मुकदमा चलाया। प्रश्न संख्या–16 के उत्तर में सफाई साक्ष्य देने से इन्कार किया गया। प्रश्न संख्या–17 के उत्तर में कथन किया है कि वह निर्दोष है।

16. अपने धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों में अभियुक्त **निर्भय सिंह** द्वारा प्रश्न संख्या–1 के उत्तर में कथन किया गया है कि उसे जानकारी नहीं है। प्रश्न संख्या–2 के उत्तर में कथन किया है कि उसका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है न ही उसके विरूद्ध देवेन्द्र सिंह ने अपने बयानों में षडयंत्र के लिये कुछ नहीं कहा। प्रश्न संख्या–3, 4, 5 व 6 के उत्तर में कथन किया है कि कुछ नहीं कहना। प्रश्न संख्या–7 के उत्तर में कथन किया है कि उसे कोई जानकारी नहीं है। प्रश्न संख्या–8 के उत्तर में कथन किया है कि कुछ नहीं कहना। प्रश्न संख्या –9 के उत्तर में कथन किया है कि सब फर्जी कार्यवाही थाने में बैठकर की। उससे कोई तमंचा व कारतूस बरामद नहीं हुआ है। प्रश्न संख्या–10 के उत्तर में कथन किया है कि जानकारी नहीं है। प्रश्न संख्या–11 के उत्तर में कथन किया है कि फर्जी विवेचना करके गलत आरोपपत्र दाखिल किया है। प्रश्न संख्या–12 के उत्तर में कथन किया है कि फर्जी विवेचना की है। प्रश्न संख्या–13 के उत्तर में कथन किया है कि एन्टी टाईम प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी है। प्रश्न संख्या–14 के उत्तर में कथन किया है कि वादी मुकदमा एस.एस.आई. के पद पर तैनात थे। उनके मार्गदर्शन पर एस.आई. विजेन्द्र सिंह भदौरिया ने फर्जी विवेचना की। गलत आरोपपत्र उसके विरूद्ध लगाया है। प्रश्न संख्या–15 के उत्तर में कथन किया है कि गांव की पार्टीबन्दी व पुलिस ने झूठा मुकदमा चलाया। प्रश्न संख्या–16 के उत्तर में सफाई साक्ष्य देने से इन्कार किया गया। प्रश्न संख्या–17 के उत्तर में कथन किया है कि वह निर्दोष है।

17. न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष की तरफ से उपस्थित विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

18. **पी०डब्लू०–1 देवेन्द्र सिंह** ने अपने मुख्य परीक्षा के बयान में कथन किया है कि दिनांक 28.01.2009 को वह अपने बड़े भाई महावीर सिंह व चाचा रामसनेही के साथ घर से लगभग 6 बजे शाम अपने खेत पर गया था। जब वह लोग राजू सिंह पुत्र हुकुम सिंह के गांव के पास पहुंचा तो उसके ही गांव के भान सिंह आ गये और उसके भाई महावीर से कहने लगे वह पुलिस को मुखबिरी करता है उसकी वजह से वह जेल जाता है आज उसे नहीं छोड़ेगा और अपने हाथ में लिये कट्टे से भान सिंह ने उसके भाई महावीर के ऊपर गोली चला दी और कई फायर किये जो उसके भाई के शरीर में लगे। गोली चलने के कारण उनकी मौके पर मौत हो गयी। वे लोग भय के कारण खेतों में छुप गये। उसके भाई को मारने वालों में और कोई नहीं थे केवल भान सिंह थे। पत्रावली में 4क/2 जो तहरीर है गवाह को पढ़कर सुनाई व दिखायी तो गवाह ने कहा ये वही तहरीर है जो उसने राजा सिंह से लिखवायी थी और थाना अजीतमल में जाकर दी थी और पुलिस ने उसका मुकदमा पंजीकृत किया था जिस पर उसमें उसका नाम व उसके पिताजी का नाम लिखा हुआ है वह उसकी तस्दीक करता है जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। वह पढ़ा लिखा नहीं है वह दस्तख्त कर लेता है। पत्रावली में कागज संख्या 11क/1 जो एस.पी. महोदय औरैया को सम्बोधित साक्षी का दिया हुआ प्रार्थनापत्र है उसे पढ़कर सुनाया गया कि उसने इसमें अपने बड़े भाई को भान सिंह व पप्पू उर्फ वीर सिंह द्वारा गोली मारकर मार डालने व एक अन्य व्यक्ति को पहचान नहीं पाया था जिस पर गवाह ने कहा कि उसे यह प्रार्थनापत्र नहीं दिया था परन्तु अपने हस्ताक्षर की पहचान की जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। हाजिर अदालत मुल्जिमान पप्पू उर्फ वीर सिंह और निर्भय सिंह को देखकर कहा कि ये लोग उसके भाई महावीर को गोली मारने वालों में शामिल नहीं थे और न ही इन लोगों ने उसके भाई को गोली मरवाने में कोई षडयंत्र किया। विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता की प्रार्थना पर इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

19. **पी.डब्लू.–2 रामसनेही** ने अपने मुख्य परीक्षा के बयान में कथन किया है कि महावीर उसका भतीजा था। आज से लगभग 9 वर्ष की बात है। शाम के 6 बजे वह व उसका भतीजा देवेन्द्र सिंह खेतों पर गये थे। जानवरों का चारा लेने गये थे। वहीं पास में राजू का खेत है। राजू के खेत पर भान सिंह आ गया तब महावीर से कहा कि वह उसकी मुखबिरी करता है। इतने में भान सिंह ने गोली मार दी अकेले भान सिंह थे और कोई नहीं था। हाजिर अदालत मुल्जिम पप्पू उर्फ वीर सिंह व निर्भय सिंह ने उसके भतीजे महावीर सिंह के गोली नहीं मारी न घटनास्थल पर थे। इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

20. **पी.डब्लू.–3 शिववीर सिंह** ने अपने मुख्य परीक्षा के बयान में कथन किया है कि ग्राम जाजपुर के महावीर की हत्या आज से लगभग 9 वर्ष से अधिक समय हो गया है तब हुयी थी। उसने सुना था कि महावीर की हत्या बदमाशों ने की थी। दिनांक 01.02.2009 को निर्भय सिंह उसके पास नहीं आये थे तथा उसे यह भी जानकारी नहीं है कि भान सिंह व महावीर दोनों दोस्त थे। हाजिर अदालत मुल्जिम निर्भय सिंह व पप्पू उर्फ वीर सिंह उसके पास नहीं आये थे और न ही उसे महावीर की हत्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है और न निर्भय सिंह ने आके इस घटना के सम्बन्ध में षडयंत्र कराने में उससे कोई बात की थी। इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

21. **पी.डब्लू.–4 गुलाब सिंह** ने अपने मुख्य परीक्षा के बयान में कथन किया है कि दिनांक 28.01.2009 को इन्दौर में हुण्डई कम्पनी में सिक्योरिटी का काम कर रहा था गांव जाजपुर में नहीं रह रहा था। 28.01.2009 को शाम 6 बजे न भान सिंह व पप्पू उर्फ वीर सिंह मिला था, क्योंकि वह गांव में नहीं था। उसके गांव के महावीर की हत्या उसके सामने नहीं हुयी थी क्योंकि घटना के समय वह गांव में नहीं था। घटना के सम्बन्ध में उसे कोई दरोगाजी नहीं मिले थे और न ही उसका कोई बयान लिया था। इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

22. **पी.डब्लू.–5 छोटे** ने अपने मुख्य परीक्षा के बयान में कथन किया है कि दिनांक 28.01.2009 को वह अपने खेतों पर था। जब वह रात में घर पर आया तब उसे पता चला कि उसके गांव के महावीर की हत्या बदमाशों ने कर दी है। उसने उस समय फायर की आवाज नहीं सुनी थी और न उस दिन उसके पास से उसका भाई भान सिंह व उसका भाई पप्पू वीर सिंह नहीं निकला था न ही महावीर के कत्ल में निर्भय सिंह का कोई हाथ नहीं है और न ही उसका कोई षडयंत्र है। घटना के 3–4 दिन बाद उसके पास व गुलाब सिंह के पास भान सिंह, निर्भय, पप्पू उर्फ वीर सिंह रात में नहीं आये थे न ही उनसे उसकी कोई बातचीत हुयी थी। हाजिर अदालत मुल्जिमान निर्भय, पप्पू उर्फ वीर सिंह को देखकर कहा कि यह लोग महावीर की हत्या में शामिल नहीं थे और न ही उसका कोई षडयंत्र था। इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

23. **पी.डब्लू.–6 महताब सिंह** ने अपने मुख्य परीक्षा के बयान में कथन किया है कि दिनांक 29.01.2009 को उसके गांव के मृतक महावीर सिंह पुत्र नत्थू सिंह के शव का पंचायतनामा की कार्यवाही उसके समक्ष सम्पादित की गयी थी। वह उसमें पंचनान नियुक्त किया गया था। सभी पंचों ने मृतक का शव को पोस्टमार्टम कराने की सलाह दी थी। पंचायतनामा शामिल पत्रावली कागज संख्या 1 लगायत 2 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है जिसकी वह पुष्टि करता है जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। उसी दिन उसके समक्ष विवेचक ने मृतक के शव के पास से एक खोखा कारतूस 315 बोर व एक अदद बुलट जिसमें खोल लगा था कब्जे में लिया था। फर्द मौके पर तैयार की थी। फर्द पर उसके हस्ताक्षर बनवाये थे। फर्द शामिल पत्रावली 7क/1 पर उसके हस्ताक्षर मौजूद है जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया तथा उसी दिन विवेचक ने घटना स्थल से खून आलूदा व सादा मिट्टी दो डब्बों में लेकर सर्व मोहर किया था जिस पर उसके हस्ताक्षर बनवाये थे जो पत्रावली में सम्मिलित है कागज संख्या 7क/2 है जिस पर बने अपने हस्ताक्षरों की पुष्टि करता है जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

24. **पी.डब्लू.–7 जयवीर सिंह** ने अपने मुख्य परीक्षा के बयान में कथन किया है कि वह बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है। घटना करीब 9–10 साल पहले की है। घटना वाले दिन वह इन्दौर में था। उसे फोन से सूचना मिली कि उसके भाई महावीर की हत्या हो गया है। इसके बाद वह इन्दौर से दूसरे दिन वापस आया तो गांववालों तथा घरवालों ने बताया कि उसके भाई महावीर की हत्या भान सिंह ने की है। हाजिर अदालत मुल्जिम पप्पू उर्फ वीर सिंह, निर्भय ने उसके भाई की हत्या नहीं की और न ही निर्भय सिंह ने उसके भाई को मारने में षडयंत्र रचा। दरोगाजी ने उसके बयान नहीं लिये थे। इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

25. **पी.डब्लू.–8 एस.आई. वीर बहादुर सिंह** ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 09.07.2009 को एस.एस.आई. विजय कुमार सिंह के साथ का० हमराह 419 सुहेब आलम सिद्दकी मय जीप सरकारी UP79G008 चालक रामऔतार के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट औरैया के आदेश दिनांक 08.07.2009 के जेल में निरूद्ध अभियुक्त पप्पू उर्फ वीर सिंह को लेने जिला कारागार इटावा पहुंचा तथा न्यायालय के आदेश से पप्पू उर्फ वीर सिंह को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। जिला कारागार इटावा से 11.30 बजे रवाना हुआ। अजीतमल आ रहा था तो रास्ते में पप्पू उर्फ वीर सिंह ने बताया कि तमंचा सिकरोरी के तरफ नाले के किनारे किसी खेत में रामेश्वर के मेढ़े के किनारे शीशम के पेड़ खड़ा हुआ था उसी के नीचे प्रयास करने पर मिट्टी को खोदा गया तो एक अदद तमंचा व कारतूस पन्नी में लिपटे हुये बरामद हुए। तमंचे की लम्बाई आठ अंगुल नाल लोहे की पांच अंगुल, लोहे की बेदी के अगल–बगल चाप लकड़ी का लगा हुआ था तथा पप्पू ने यह भी बताया कि वह व उसका भाई भान सिंह ने ही इसी तमंचे के द्वारा महावीर की हत्या की थी तथा तमंचा बरामद का समय 14.30 बजे शील सर्व कर एक कपड़े में रखकर नमूना मोहर तैयार किया गया था। फर्द को मौके पर ही एस.एस.आई. विजय कुमार सिंह के द्वारा लिखी गयी थी तथा उसे अन्य हमराहियान व अभियुक्त को पढ़कर सुनायी गयी थी तथा सभी के हस्ताक्षर बनवाये गये थे वह फर्द पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 4 क/2 के रूप में संलग्न है जो एस.एस.आई. विजय कुमार सिंह के हस्तलेख हस्ताक्षर में है तथा उस पर उसके भी हस्ताक्षर है, जिसकी वह पुष्टि व पहचान करता है जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। आला कतल तमंचा 315 बोर व दो अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर का सीलबण्डल आज न्यायालय के समक्ष मौजूद है, न्यायालय के आदेश से खोला तो सीलबण्डल के अन्दर से एक तमंचा 315 बोर व दो कार्टेज जिन्दा 315 बोर निकले। साक्षी ने देखकर कहा यह वही कट्टा है जिसको पप्पू के निशानदेही पर बरामद कर मौके पर ही सीलसर्व मोहर किया गया जिसकी वह पहचान पुष्टि करता है, कट्टे पर वस्तु प्रदर्श–1, दोनों कार्टेज पर वस्तु प्रदर्श–2 व 3 तथा सीलबण्डल कपड़े पर वस्तु प्रदर्श–4 डाला गया। एस.एस.आई. विजय कुमार सिंह की मृत्यु हो चुकी है उनकी मृत्यु प्रमाणपत्र की छायाप्रति आज उसके सामने है। एस.एस.आई. विजय कुमार सिंह द्वारा ही अपराध संख्या 145/2009 अन्तर्गत धारा 25 ए एक्ट बनाम पप्पू उर्फ वीर सिंह की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी थी। एस.एस.आई. विजय कुमार सिंह उसके साथ तैनात रहे है। उसने उनको लिखते पढ़ते देखा है, वह उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर की पहचान करता है। प्रदर्श क–5 एस.एस.आई. विजय कुमार सिंह के हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, वह उनकी हस्तलेख व हस्ताक्षर की पहचान व पुष्टि करता है। विवेचक महोदय ने उसका बयान लिया था।

26. **पी.डब्लू.–9 डॉ० ओमप्रकाश** ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 29.01.2009 को पोस्टमा P.H.C. खानपुर औरैया जनपद औरैया पर चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात था। उसी दिनांक को उसकी ड्यूटी P.M. हाउस इटावा पर लगी थी। उसी दिनांक को थाना अजीतमल जनपद औरैया से C.P. 304 मंशाराम H.G. 298 चन्द्रभान बाजपेयी मृतक महावीर सिंह पुत्र नाथू सिंह निवासी जगपुर अजीतमल जिला औरैया का सीलबन्द शव P.M.कराने हेतु उसके पास आये थे। मृतक की उम्र लगभग 45 वर्ष थी हाथ–पैरों में अकड़न थी। मृत्यु पूर्व चोटे –1– अग्निअस्त्र प्रवेश घाव 1cmx1cmx स्कैल्प गहरा, सिर में दाई ओर दाये कान से 5cm ऊपर, किनारा धसे हुये अन्दर की ओर। 2–अग्निअस्त्र प्रवेश घाव 1cmx1cmx बक्कल कैविटी गहरा दाये गाल पर

नाक से 4cm दूर किनारे अन्दर की ओर। 3– अग्निअस्त्र निकास घाव चोट नं.–8 क, 2.5cmx2.5cmx हड्डी गहरा गले के दायी ओर सीधे कान से 8cm नीचे, किनारे बाहर की ओर। 4– कन्टूयजन 3cmx2cmx छाती पर स्टर्नल नॉय के ऊपर। 5– अग्निअस्त्र प्रवेश घाव 1cmx1cmx हड्डी गहरा बायी फोर आर्म के मध्य भाग पर पीछे की तरफ किनारे अन्दर की ओर छठवां अग्निअस्त्र प्रवेश घाव 1cmx1cmx आर–पार सीधे हथेली के पीछे के तरफ किनारे अन्दर की ओर सातवां अग्निअस्त्र निकास घाव चोट नम्बर 6 वाली क, 3cmx3cm आर–पार सीधे हथेली के पीछे की तरफ किनारे निकले हुये बाहर की ओर। अग्निअस्त्र प्रवेश घाव 1cmx1cmx चेस्ट गैविटी गहरा, चैस्ट के बांयी ओर किनारे अन्दर की ओर। 9 वां अग्निअस्त्र प्रवेश घाव 1cmx1cmx हड्डी गहरी सीधा टांग पर। 10 वां अग्निअस्त्र निकास घाव चोट नम्बर 9 वाली क, 3cmx3cmx हड्डी गहरा सीधी टांग के मध्य भाग पर किनारे बाहर की ओर उसके नीचे फीमर बोन टूटी हुयी। आन्तरिक परीक्षा–खोपड़ी में एक मैटलिक बुलट इन्जरी नम्बर–1 के नीचे से प्राप्त हुयी। नम्बर–2 एक मैटिलिक बुलट इन्जरी नम्बर–2 के नीचे से प्राप्त हुयी। नम्बर–3 एक धातु की बुलट इन्जरी नम्बर–5 के नीचे से प्राप्त हुयी। इस प्रकार कुल 3 बुलट्स प्राप्त हुयी जिनको कांस्टेबिलों को दे दिया शील्ड लिफाफे में करके। दिमाग एवं झिल्लियां फीकी थी फेफड़े की झिल्ली फटी हुयी थी दोनों फेफड़े फटे हुये थे। हृदय खून से खाली था। छाती की कैविटी में लगभग आधा लीटर खूनी द्रव मौजूद था। पेट में लगभग 100 ग्राम खाद्य पदार्थ था। छोटी आंत में पचा हुआ खाना एवं गैसिस व बड़ी आंत में मल पदार्थ व गैसिस थी। लीवर, स्पलीन, किडनी फीके थे। मृत्यु का कारण अत्यधिक खून बहने एवं सदमें से हुयी थी। शरीर पर कपड़ा बनयान–एक, शर्ट–एक, अण्डरवियर–एक, गमछा–एक थे जो कांस्टेबिल को दे दिये। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसने अपने हस्तलेख से तैयार की जिनकी वह शिनाख्त करता है। वह PM रिपोर्ट मृतक महावीर सिंह पत्रावली कागज सँख्या 10 क/1 के रूप में आज उसके सामने है जिसकी वह पहचान व पुष्टि करता है जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया। PM कराने वाले पुलिस वाले मृतक के शव के साथ अन्य प्रपत्र जिनमें पंचायतनामा, चिट्ठी आर.आई., चिट्ठी CM, फोटोलाश, चालान लाश, FIR की कार्बन प्रति लाये थे जो पत्रावली पर आज उसके सामने है जिन पर उसने हस्ताक्षर बनाये थे जिनकी वह पहचान व पुष्टि करता है।

27. **पी.डब्लू.–10 रिटायर्ड I/0 कृष्णानन्द** ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक–02.02.2009 को थाना अजीतमल जनपद औरैया पर प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात था। उसी दिनांक को उसने थाना हाजा पर पंजीकृत अपराध संख्या–17/2009 अंतर्गत धारा 302 IPC की विवेचना ग्रहण कर दिनांक– 18.05.2009 तक की थी। उसने अपनी विवेचना में सी. डी. पर्चा 5 लगायत सी. डी. के पर्चा 24 तक किता करके आरोप पत्र प्रेषित किया था। उसके उपरांत उसने एस. सी. के पर्चा 3 तक भी उसने किता किये थे। विवेचना क्रम में उसने सी. डी. 5 में पूर्व विवेचकों द्वारा की गयी विवेचना का अवलोकन अंकित किया था। सी. डी. के पर्चा 6 लगायत सी. डी. के पर्चा 11 में उसने अभियुक्तगण की तलाश व दबिश संबन्धी विवरण व मृतक महावीर सिंह के पंचायतनामा का अवलोकन व पी. एम. रिपोर्ट का अवलोकन व बयान छोटे सिंह व बयान गुलाब सिंह व बयान उदयवीर सिंह व बयान रण सिंह व बयान शिववीर सिंह व अभियुक्तगण की तलाश व दबिश व गवाह फर्द महताब सिंह व बलवीर सिंह अंकित किये थे। सी. डी. के पर्चा 12 लगायत सी. डी. के पर्चा 18 में उसने अभियुक्तगण की तलाश संबन्धी विवरण व 82, 83 सी. आर. पी. सी. को प्राप्त करने के प्रयास संबन्धी विवरण अंकित किया था। सी. डी. के पर्चा 19 लगायत सी. डी. के पर्चा 24 में सिंह सी. जे. एम. महोदय औरैया से अनुमति प्राप्त कर जिला कारागार इटावा में निरुद्ध अभियुक्त निर्भय सिंह का बयान अंकित किया था। निर्भय सिंह ने अपने बयान में उसे बताया था " जिस दिन गांव को महावीर को मारने की घटना घटी थी, मैं उस दिन गांव में नहीं था। अगले दिन जब गांव में वापस आया तो घटना का पता चला था। मान सिंह मेरा साला जरुर था। मैं उससे कोई मतलब नहीं रखता था। क्योंकि वह बदमाश किस्म का आदमी था। इसीलिये वह मारा भी जल्दी ही गया है। पप्पू उर्फ वीर सिह के संबन्ध में बताया कि वह भी आवारा किस्म का लड़का है।" तथा दौरान तलाश यह भी पता चला था कि पप्पू का भाई दिनांक 06.03.2009 को थाना

अयाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में मारा गय। तथा अभियुक्त निर्भय का रिमाण्ड संबन्धी विवरण व बयान गवाह रामसनेही व देवेन्द्र सिंह व बादाम सिंह अंकित किये थे तथा अभियुक्त पप्पू उर्फ वीर सिंह की न्यायालय से 83 सी. आर. पी. सी. का आदेश मिलने के बाद अभियुक्त पप्पू उर्फ वीर सिंह की कुर्की की गयी थी तथा बयान पंचान कमलू सिहं व बादाम सिंह तथा अभियुक्त पप्पू उर्फ वीर सिंह की कुर्की किये जाने का विवरण अंकित किया था। उसकी विवेचना से अभियुक्त पप्पू उर्फ वीर सिंह का घटना में सम्मिलित होना पाया गया था तथा भान सिंह का जीजा निर्भय सिंह भी घटना घटित करने षड्यन्त्र में संलिप्त होना पाया था। दौरान विवेचना अभियुक्तगण पप्पू उर्फ वीर सिंह पुत्र छोटे नत्थू सिंह व निर्भय सिंह पुत्र दर्शन सिंह व अभियुक्त मृतक भान सिंह पुत्र छोटे नत्थू सिंह निवासीगण जाजपुर थाना अजीतमल जिला औरैया के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अंतर्गत धारा 302 120 IPC में आरोप पत्र संख्या– 59/2009 दिनांक 18.05.2009 को प्रेषित किया था, वह आरोप पत्र पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या–3 क/1 के रुप में आज उसके सामने है जिसकी वह जरिये वी. सी. पहचान पुष्टि करता है जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया। इसके उपरांत उसने अभियुक्त पप्पू उर्फ वीर सिंह के पर्चा रोपकार हाजिरी का अवलोकन अंकित किया था। एस. सी. डी. 2 में उसने अभियुक्त पप्पू उर्फ वीर सिंह का बयान अंकित किया था।

28. **पी.डब्लू.–11 सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक श्रीकृष्ण** ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 28.01.2009 को थाना अजीतमल जनपद औरैया पर प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात था। उसी दिनांक को थाना अजीतमल पर पंजीकृत अपराध संख्या–17/2009 बनाम मान सिंह अंतर्गत धारा–302 IPC की विवेचना ग्रहण कर दिनांक 30.01.2009 तक की थी। उसने अपनी विवेचना में सी. डी. पर्चा 01 लगायत सी. डी. के पर्चा 03 तक किता किये थे। विवेचनाक्रम में उसने सी. डी. पर्चा 01 लगायत सी. डी. के पर्चा 03 में नकल तहरीर हिन्दी वादी नकल रपट नंबर 25 समय 21.15 बजे बयान FIR लेखक H.C. 15 मंगूलाल तथा थाना हाजा से एस. आई. अलमा अहिरबार के साथ घटना स्थल पर पहुंचने संबन्धी विवरण तथा घटना स्थल पर जहां पर मृतक की लाश पड़ी थी। वहां पर मृतक के परिजन व काफी गांव वाले मौजूद थे। रोशनी की उचित व्यवस्था नहीं थी। जिस कारण मौके पर का० मंशाराम व का० चन्द्रभान वाजपेयी को छोड़कर अभियुक्त मान सिंह की गिरफ्तारी हेतु उसके घर पर गया था। तो घर पर ताला लगा था। संभावित स्थानों पर जानकारी करते हुए घटना स्थल पर पुनः पहुँच कर एस. आई. अलमा अहिरवार को निर्देशित कर पंचायतनामा की कार्यवाही करवायी थी। एस. आई. अलमा अहिरवार के द्वारा उसने मौके पर रहकर पंचायतनामा चिट्ठी आर. आई., चिट्ठी, सी. एम. ओ., फोटोलाश, चालानलाश भी तैयार कराये थे। वह पंचायतनामा पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 8 क /1 लगायत 8 क/2 व चिट्ठी आर. आई. 9 क/1, व चिट्ठी सी. एम. ओ. 9 क/2, फोटोलाश 9 क/3 व चालानलाश 9 क/4 के रुप में द्वारा वी. सी. आज उसके सामने है, जो एस. आई. अलमा अहिरवार के हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी वह पहचान पुष्टि करता है जिनमें से पंचायतनामा पर प्रदर्श क–3 पहले से डाला जा चुका है। शेष प्रपत्रों पर क्रमशः प्रदर्श क– 8, प्रदर्श क– 9, प्रदर्श क– 10, प्रदर्श क– 11, डाला गया। इसके उपरांत वादी मुकदमा देवेन्द्र सिंह का बयान अंकित किया तथा वादी मुकदमा की निशादेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नकशा नजरी तैयार किया था। वह नकशा नजरी पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 13 क/1 के रुप में द्वारा वी. सी. आज उसके सामने है, जो उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी वह पहचान पुष्टि करता है जिस पर प्रदर्श क– 12 डाला गया। इसके उपरांत समायी साक्षीगण समशाद व वीर सिंह व फिरंगी सिंह के बयान अंकित किये तथा इसके उपरांत एस. आई. राजेश सिंह से मृतक का खूनआलूदा व सादा मिट्टी व बुलट व खोखा कारतूस अलग अलग सील करने तथा फर्द तैयार करने हेतु निर्देशित किया था। तथा एस. आई. राजेश सिंह ने फर्द उसके बोलने पर की थी तथा खून आलूदा व सादा मिट्टी व बुलट व कारतूस को अलग अलग कागजों में लपेटकर उनपर चिटबंदी कर अलग अलग कपड़ों में रखकर सिलकर शीलसर्व मोहर कराया था। खोखा कारतूस 315 बोर व एक कारतूस का बुलट (अगला हिस्सा) की फर्द पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 7 क/1 व मिट्टी खून आलूदा सादा मिट्टी कागज

संख्या–7 क/2 के रुप में द्वारा वी. सी. आज उसके सामने है, जिन पर क्रमशः पूर्व में प्रदर्श क– 4 व प्रदर्श क–5 डाला जा चुका है। दोनों फर्दे उसने मौके पर ही बोलबोलकर एस. आई. राजेश सिंह भदौरिया से तैयार करायी थी। इसके उपरांत पुनः अभियुक्त की तलाशी व दबिश संबन्धी विवरण तथा मृतक महावीर सिंह की पी. एम. रिपोर्ट का अवलोकन कर संलग्न सी. डी. किया था तथा पुनः अभियुक्त के संभावित स्थानों पर दबिश व तलाश संबन्धी विवरण अंकित किया था। मुखबिर ने बताया था कि यमुनापार कहीं छिपा था। इसके उपरांत इस प्रकरण की विवेचना उसके स्थानान्तरण के कारण अन्य विवेचक के द्वारा की गयी। इस मुकदमे से सम्बन्धित माल के तीन शीलबन्डल आज न्यायालय के समक्ष मौजूद है तथा द्वारा वी.सी.उसके सामने जिनमें से एक बण्डल कपड़े का शील जिस पर एक खोखा कारतूस व बुलेट सम्बन्धित माल मुकदमाती व अपराध संख्या 17/2009 अंकित है जिसको न्यायालय की अनुमति से खोला गया तो उसके अन्दर से कागज में रखा एक बुलेट व एक खोखा कारतूस निकले जिनको देखकर साक्षी ने कहा इनको उसने घटनास्थल से बरामद करके शील सर्व मुहर किया था जिसकी वह पहचान पुष्टि करता है। बुलेट पर वस्तु प्रदर्श–5, खोखा कारतूस पर वस्तु प्रदर्श–6 तथा शीलबण्डल कपड़े पर वस्तु प्रदर्श–7 डाला गया तथा अन्य दो शीलबण्डल जिन पर एक पर जिसमें मिट्टी खून आलूदा मृतक महावीर व सादा मिट्टी मृतक महावीर सिंह अपराध संख्या 17/2009 दोनों बंडलों पर अंकित है तथा अन्य विवरण और उसके हस्ताक्षर है जिनको न्यायालय की अनुमति से खोले गये तो खून आलूदा मिट्टी डिब्बे के अन्दर से निकली जिसको देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही खून आलूदा मिट्टी है जिसको उसने घटनास्थल से लेकर शील सर्व मुहर किया था जिसकी वह पहचान पुष्टि करता है। मिट्टी पर वस्तु प्रदर्श–8, डिब्बे पर वस्तु प्रदर्श–9 व शीलबण्डल कपड़े पर वस्तु प्रदर्श–10 तथा सादा मिट्टी का शीलबण्डल न्यायालय की अनुमति से खोला गया तो उसके अन्दर डिब्बे में मौजूद मिट्टी को देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही मिट्टी है जिसको उसने घटनास्थल से लेकर शील सर्व मुहर किया था जिसकी वह पहचान पुष्टि करता है। सादा मिट्टी पर वस्तु प्रदर्श–11, डिब्बे पर वस्तु प्रदर्श–12 व कपड़े पर वस्तु प्रदर्श–13 डाला गया।

29. **पी.डब्लू.–12 उपनिरीक्षक सर्वेश कुमार** ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 09.07.2009 को थाना अजीतमल जनपद औरैया पर H.M. के पद पर थाना औरैया में कार्यलेख के पद पर तैनात था उसी दिनांक को एस.एस.आई. विजय कुमार सिंह द्वारा एक फर्द बरामदगी एक अदद तमंचा 315 बोर व दो अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर (आला कतल) सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या 17/2009 धारा 302/120 बी IPC थाना अजीतमल जनपद औरैया FIR पंजीकृत करने हेतु उसके समक्ष प्रस्तुत की थी। उसने उसी फर्द बरामदगी को शब्द व शब्द अंकित कर चिक FIR संख्या 130/2009 किता करके मुकदमा अपराध संख्या 145/2009 बनाम पप्पू उर्फ वीर सिंह पुत्र छोटे नाथू सिंह निवासी ग्राम जाजपुर खुर्द थाना अजीतमल जिला औरैया अन्तर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम में कायम किया था व चिक FIR इस प्रकरण से सम्बन्धित ST No. 53/2017 पर मौजूद कागज संख्या 4 क/1 के रूप में आज उसके सामने है जो उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है जिसकी वह पहचान पुष्टि करता है जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया। इस प्रकरण का खुलासा उसने जी.डी. के रपट नं. 34 समय 16.35 बजे दिनांक 09.07.2009 को मूल के साथ कार्बन लगाकर एक ही प्रक्रिया में अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में किया था। मूल कायमी जी.डी. की कार्बन प्रति ST N. 53/2017 पर मौजूद कागज संख्या 6 क/1 के रूप में द्वारा V.C.आज उसके सामने है जो हस्तलेख व हस्ताक्षर की कार्बन प्रति है जिस पर थाना अजीतमल की मुहर अंकित है जिसकी वह पहचान पुष्टि करता है जिस पर प्रदर्श क –9 डाला गया। कायमी जी.डी. में उसने वादी मुकदमा द्वारा दाखिल किये गये अभियुक्त पप्पू उर्फ वीर सिंह व उससे बरामद माल का भी हवाला अंकित किया था। विवेचनाधिकारी ने उसका बयान लिया था।

30. **पी.डब्लू.–13 एस.आई. विजेन्द्र सिंह भदौरिया** ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 09.07.2009 को थाना अजीतमल जनपद औरैया पर SI के पद पर तैनात था। उसी दिनांक में उसने थाना अजीतमल जनपद औरैया पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 145/2009 बनाम पप्पू उर्फ वीर सिंह अन्तर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम की विवेचना ग्रहण कर दिनांक 20.08.2009 को विवेचना पूर्ण की थी। उसने अपनी विवेचना में सी.डी. के परचा प्रथम लगायत सी.डी. के परचा तीन व SCD प्रतम किता किया था। विवेचना क्रम में उसने सी.डी. के परचा एक लगायत तीन व S.C.D. के परचा प्रथम में उसने नकल फर्द बरामदगी एक अदद तमंचा 315 बोर व दो कारतूस 315 बोर सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या 17/09 धारा 302, 120IPC अजीतमल औरैया व बयान अभियुक्त पप्पू उर्फ वीर सिंह व बयान FIR लेखक H.C. 22 सर्वेश कुमार व बयान कांस्टेबिल 145 वीर बहादुर सिंह व बयान वादी SSI श्री पी.के. सिंह व निरीक्षण घटनास्थल कर नक्शा नजरी तैयार किया। वह नक्शा नजरी पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 8 क/1 ST N. 53/2017 पर मौजूद है जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी वह पहचान पुष्टि करता है जिस पर प्रदर्श क–10 डाला गया। इसके उपरान्त बयान समई साक्ष्य श्री चन्द पुत्र रामेश्वर व शिवकरन पुत्र नाथूराम व बयान कांस्टेबिल 419 सुहेल अहमद सिद्दकी अंकित किये। इसके उपरान्त अभियुक्त पप्पू उर्फ वीर सिंह पुत्र छोटे नाथू सिंह निवासी ग्राम जाजपुर थाना अजीतमल जिला औरैया के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोपपत्र संख्या 108/2009 दिनांक 16.07.2009 को न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया था। वह आरोपपत्र पत्रावली सम्बन्धित ST N. 53/2017 पर मौजूद कागज संख्या 3 क के रूप में द्वारा V.C. आज उसके सामने है जो उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है जिसकी वह पहचान पुष्टि करता है जिस पर प्रदर्श क–11 डाला गया। इसके उपरान्त उसने SCD प्रथम में जिला मजिस्ट्रेट महोदय औरैया से अभियोग चलाये जाने हेतु अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने व उसका अवलोकन अंकित किया था तथा अभियोजन स्वीकृति को संलग्न सी.डी. किया था। वह अभियोजन स्वीकृति पत्रावली सम्बन्धित ST N. 53/2017 पर मौजूद कागज संख्या 9 क/1 के रूप में द्वारा V.C. आज उसके सामने है जिसकी वह पहचान पुष्टि करता है जिस पर प्रदर्श क–12 डाला गया। ST N. 53/2017 की अपराध संख्या 145/2009 की चिक FIR संख्या 130/2009 H.M. 22 सर्वेश कुमार के हस्तलेख व हस्ताक्षर में है। H.M.सर्वेश कुमार उसके साथ थाना अजीतमल पर कार्यरत रहे है। उसने उनको लिखते पढ़ते हस्ताक्षर बनाते देखा है। वह उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर को पहचानता है। इस प्रकरण की चिक संख्या 130/2009 H.M. 22 सर्वेश कुमार के हस्तलेख व हस्ताक्षर में है तथा ST N. 53/2017 पर मौजूद कागज संख्या 4 क/1 के रूप में द्वारा V.C. आज उसके सामने है जिसकी वह पहचान पुष्टि करता है जिस पर पूर्व में प्रदर्श क–8 डाला जा चुका है। ST N. 52/2017 की F.I.R. H.C. 15 मंगूलाल व कायमी जी.डी. की कार्बन प्रति भी H.C. मंगूलाल के हस्तलेख व हस्ताक्षर में है। H.C. मंगूलाल उसके साथ थाना अजीतमल पर कार्यरत रहे है। उसने उनको लिखते पढ़ते हस्ताक्षर बनाते देखा है। उसने उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर को पहचानता है। ST N. 52/2017 व अपराध संख्या 17/2009 की चिक FIR 4 क/1 व कायमी जी.डी. की कार्बन प्रति 6 क/1 के रूप में द्वारा V.C. आज उसके सामने है जो H.C. मंगूलाल के लेख व हस्ताक्षर में है। वह उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर की पहचान पुष्टि करता है जिस पर प्रदर्श क–13 व कायमी जी.डी की कार्बन प्रति पर प्रदर्श क–14 डाला गया।

31. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का परिशीलन किया गया।

<u>अभियोजन पक्ष के तर्क</u>

32. अभियोजन द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विवेचना के दौरान साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि घटना अभियुक्तगण द्वारा कारित की गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज नहीं करायी गयी है। तथ्यों के साक्षीगण द्वारा धारा 161 दं.प्र.सं. में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। अभियुक्तगण का नाम विवेचना के दौरान इस प्रकरण में प्रकाश में आया है। अभियुक्त पप्पू उर्फ वीर सिंह की निशानदेही पर पुलिस ने उस स्थान से तमंचा बरामद किया है जिसके प्रयोग से

अभियुक्तगण ने मृतक महावीर की हत्या की थी। तमंचे को पुलिस द्वारा स्वयं अभियुक्त द्वारा बरामद कराना अभियुक्तगण की संलिप्तता की पुष्टि करता है। विवेचना में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गयी है। विवेचक द्वारा आलाकतल की बरामदगी घटनास्थल से की गयी है। अभियोजन ने अपना केस युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध किया है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाना चाहिए।

<u>बचाव पक्ष की ओर से</u>

33. बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्तगण पप्पू उर्फ वीर सिंह एवं निर्भय नामजद नहीं है। इनके द्वारा वादी मुकदमा के भाई महावीर की हत्या कारित नहीं की गयी है। किसी भी व्यक्ति ने अभियुक्तगण को महावीर की हत्या करते नहीं देखा है। गांव वालों ने उसके खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखवायी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज की गयी है। अभियुक्तगण के पास किसी प्रकार का हथियार बरामद नहीं हुआ है। तथ्य के सभी साक्षीगण अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किये गये है। अभियुक्त पप्पू उर्फ वीर सिंह के निशानदेही पर असलहे की बरामदगी जो पुलिस द्वारा दर्शायी गयी है वह फर्जी है। बरामदगी का कोई जन स्वतंत्र साक्षी नहीं है। चिकित्सक आख्या से घटना साबित नहीं होती है। वादी मुकदमा द्वारा अपने भाई की हत्या की रिपोर्ट में अभियुक्तगण को नामजद नहीं किया गया था। नक्शा नजरी से घटनास्थल साबित नहीं होता है। विवेचक द्वारा त्रुटिपूर्ण विवेचना की गयी है। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जो अभियुक्तगण की कथित अपराध में संलिप्तता को स्पष्ट करता हो। अतः अभियुक्तगण आरोपित आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

34. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित निम्न विधि व्यवस्था दाखिल की गयी है-

(i) Buta Singh vs State of Panjab Criminal Appeal No. 775 of 1985, decided on December 14, 1995

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित निम्न विधि व्यवस्था दाखिल की गयी है-

(i) Beni Prasad vs State of U.P. Criminal Appeal No. 171 of 2001 February 26, 2003 [2003 (46) ACC 701]

35. दोनों पक्षों के उपरोक्त तर्को के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन कर निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्धारण बिन्दु विरचित किया जाते है-

(i) क्या दिनांक 28.01.2009 को समय करीब 6 बजे शाम में आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा के भाई महावीर की आग्नेयास्त्र से फायर करके हत्या सुनियोजित आपराधिक षडयंत्र के तहत कर दी?

(ii) क्या दिनांक 09.07.2009 को समय करीब 14.30 बजे में आप अभियुक्त ने पुलिस अभिरक्षा में अपनी निशानदेही पर एक अदद तमंचा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कराया जिसको आपने अपराध संख्या 17/09 धारा 302, 120 बी भा.दं.सं. के हत्या के मामले में प्रयुक्त किया था जिसको रखने का आपके पास कोई वैध लाइसेंस नहीं था?

(iii) क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है?

36. उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 व 2 एकदूसरे से मेल खाते है इसलिए इनका निस्तारण एकसाथ किया जा रहा है।

37. अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्तगण पप्पू उर्फ वीर सिंह एवं निर्भय सिंह ने दिनांक 28.01.2009 को समय करीब 6.00 बजे दिन स्थान जाजपुर अन्तर्गत थाना अजीतमल जिला औरैया में सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में आपराधिक षड्यंत्र के तहत आग्नेयास्त्र से सुसज्जित होकर वादी मुकदमा के भाई महावीर की गोली मारकर हत्या धारा 302 सपठित 120 बी भारतीय दण्ड संहिता एवं 25 शस्त्र अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया एवं अभियुक्त पप्पू उर्फ वीर सिंह की निशानदेही पर पुलिस द्वारा उक्त तमंचे को बरामद किया गया।

38. प्रत्येक दशा व परिस्थिति में अभियोजन का यह कर्तव्य है कि वह अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपो को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करे। विधि का यह सिद्वान्त है कि अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे विश्वसनीय साक्ष्यों के द्वारा अभियोजन को साबित करना चाहिए। अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपो के संबंध में अभियोजन द्वारा पेश की गई साक्ष्य का विश्लेषण करना उचित होगा तथा यह न्यायालय अभियोजन द्वारा पेश की गई साक्ष्य की विवेचना व समीक्षा करता है। इस न्यायालय द्वारा पत्रावली पर मौजूद तथ्यों के साक्षियों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों को सम्यक् परिशीलन किया गया।

39. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण के साक्ष्य का विश्लेषण करने से पूर्व यह उल्लेखनीय है कि साक्षीगण का साक्ष्य मुख्यतः दो प्रकार से कसौटी पर देखना होता है। सर्वप्रथम मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में साक्षीगण की घटनास्थल पर उपस्थिति संभाव्य एवं स्वाभाविक थी, और उनके द्वारा तथ्यों पर साक्ष्य दिया जाना संभव था। दूसरे क्या उनके साक्ष्य में ऐसी कोई अनियमितता है, जिस कारण उनका साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने साक्षीगण को 3 श्रेणियों में रखा है।

ए– पूर्णतया विश्वसनीय साक्षी।

बी– पूर्णतया अविश्वसनीय साक्षी।

सी– न पूर्णतया विश्वसनीय और न पूर्णतया अविश्वसनीय साक्षी।

40. जहां पर साक्षीगण पूर्णतया अविश्वसनीय हों, वहां कोई समस्या नहीं है तथा साक्ष्य को अमान्य कर दिया जायेगा। जहां पर साक्षी पूर्ण विश्वसनीय हो, वहां पर भी कोई समस्या नहीं है, पूर्णतया विश्वसनीय साक्षीगण के साक्ष्य पर विश्वास कर के अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सकता है। उनके साक्ष्य की अन्य साक्ष्य द्वारा संपुष्टि भी आवश्यक नहीं है। तीसरी श्रेणी का साक्ष्य होने कि जहां साक्ष्य न तो पूर्णतया विश्वसनीय हो और न पूर्णतया अविश्वसनीय हो, वहां केवल साक्षीगण के साक्ष्य की साक्ष्यों द्वारा संपुष्टि करना होती है।

41. इस न्यायालय द्वारा पत्रावली पर मौजूद तथ्यों के साक्षी, औपचारिक साक्षियों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों को सम्यक परिशीलन किया गया। उभय पक्षों द्वारा दिये गये तर्को के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय का मत है कि जब अपराध से आरोपित व्यक्ति की दोषिता या निर्दोषिता के गम्भीर प्रश्न पर विचार किया जा रहा हो तब सामान्यतयाः निम्नलिखित नियमों का पालन न्यायालय द्वारा किया जाता है।

1- अभियुक्त के विरूद्ध आरोप साबित किये जाने से सम्बन्धित प्रत्येक आवश्यक बात को साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है।

2- साक्ष्य ऐसा होना चाहिए, जो किसी नैतिक निश्चितता तक अभियुक्त की दोषिता के सम्बन्ध में प्रत्येक युक्तियुक्त संदेह को अपवर्जित (exclude) कर दे।

3- संदेह के मामलों में सिद्धदोष ठहराने की तुलना में दोषमुक्त करना अधिक उचित होता है, चूँकि यह बेहतर होता है कि कई दोषी व्यक्ति बच जाये, लेकिन निर्दोष व्यक्ति अकारण कष्ट न भोगे।

4- अपराध के सार (Corpus delicti) का सबूत साफ और सुस्पष्ट होना चाहिए।

5–अपचारित (delinquency) की परिकल्पना को सारे साबित तथ्यों से सुसंगत होना चाहिए। सबूत से तात्पर्य कठोर यथातथ्य परिमाणन (mathematical) के सबूत से नहीं होता है, क्योंकि वह असम्भव है, इसका तात्पर्य ऐसे सबूत से है जो किसी व्यक्ति को किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रेरित करे। वस्तुतः संदेह ऐसा संदेह है, जब आप किसी महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में कुछ विचार कर रहे हैं तो वह कहीं न कहीं आपको प्रभावित करता है। संदेह युक्तियुक्त होते हैं यदि वे अव्यवहारिक कल्पना के उत्साह से मुक्त है। वस्तुतः युक्तियुक्त संदेह काल्पनिक, मामूली या मात्र सम्भव संदेह नही होता बल्कि यह तर्क और व्यवहारिक ज्ञान (common sense)पर आधारित निष्पक्ष (fair) संदेह होता है। **केरल राज्य बनाम बहीयान ए0 आई0 आर0 1987 सर्वोच्च न्यायालय 482** में अभिनिर्धारित हुआ कि कानून में दोषसिद्धि के लिये युक्तियुक्त संदेह से परे की साक्ष्य की जरूरत होती है न कि निश्चायात्मक (conclusive) साक्ष्य की। इस पत्रावली में अभियोजन साक्षी संख्या–1 देवेन्द्र सिंह स्वयं मृतक का भाई है जो अभियोजन का महत्वपूर्ण साक्षी (star witness) है।

42. अभियोजन द्वारा पी.डब्लू.–1 देवेन्द्र को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया। **इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है** कि दिनांक 28.01.2009 को वह अपने बड़े भाई महावीर सिंह व चाचा रामसनेही के साथ घर से लगभग 6 बजे शाम अपने खेत पर गया था। जब वह लोग राजू सिंह पुत्र हुकुम सिंह के गांव के पास पहुंचे तो उसके ही गांव के भान सिंह आ गये और उसके भाई महावीर से कहने लगे वह पुलिस को मुखबिरी करता है उसकी वजह से वह जेल जाता है आज उसे नहीं छोड़ेगा और अपने हाथ में लिये कट्टे से भान सिंह ने उसके भाई महावीर के ऊपर गोली चला दी और कई फायर किये जो उसके भाई के शरीर में लगे। गोली चलने के कारण उनकी मौके पर मौत हो गयी। वे लोग भय के कारण खेतों में छुप गये। उसके भाई को मारने वालों में और कोई नहीं थे, केवल भान सिंह थे। पत्रावली में 4 क/2 जो तहरीर है गवाह को पढ़कर सुनाई व दिखायी तो गवाह ने कहा ये वही तहरीर है जो उसने राजा सिंह से लिखवायी थी और थाना अजीतमल में जाकर दी थी और पुलिस ने उसका मुकदमा पंजीकृत किया था जिस पर उसमें उसका नाम व उसके पिताजी का नाम लिखा हुआ है वह उसकी तस्दीक करता है जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। वह पढ़ा लिखा नहीं है वह दस्तख्त कर लेता है। पत्रावली में कागज संख्या 11 क/1 जो एस.पी. महोदय औरैया को सम्बोधित साक्षी का दिया हुआ प्रार्थनापत्र है उसे पढ़कर सुनाया गया कि उसने इसमें अपने बड़े भाई को भान सिंह व पप्पू उर्फ वीर सिंह द्वारा गोली मारकर मार डालने व एक अन्य व्यक्ति को पहचान नहीं पाया था जिस पर गवाह ने कहा कि उसने यह प्रार्थनापत्र नहीं दिया था, परन्तु अपने हस्ताक्षर की पहचान की जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। हाजिर अदालत मुल्जिमान पप्पू उर्फ वीर सिंह और निर्भय सिंह को देखकर कहा कि ये लोग उसके भाई महावीर को गोली मारने वालों में शामिल नहीं थे और न ही इन लोगों ने उसके भाई को गोली मरवाने में कोई षडयंत्र किया। **अभियोजन की प्रार्थना पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।** इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि वह हाजिर अदालत मुल्जिमान पप्पू उर्फ वीर सिंह व निर्भय सिंह को जानता है। ये अभियुक्त भान सिंह के भाई व बहनोई हैं। अभियुक्त भान सिंह की मृत्यु हो चुकी है, ये उसे जानकारी है। इस साक्षी द्वारा इस सुझाव को गलत बताया गया है कि उसने प्रदर्श क–02 में हाजिर अदालत मुल्जिम पप्पू उर्फ वीरभान और एक अन्य अज्ञात मुल्जिम के विरूद्ध प्रार्थना पत्र दिया था कि भान सिंह के साथ ये मुल्जिम भी हत्या करने में शामिल थे , इसीलिये ये लोग जेल गये हो, परन्तु आज मुल्जिमानों से मिल जाने के कारण प्रदर्श क–02 स्वंय बोलकर न लिखाने वाली बात झूठ कह रहा है। उसने पुलिस को बयान दिया था। उसने पुलिस को यह बयान दिया था कि अभियुक्त भान सिंह ने उसके भाई को गोलियों से मारा था। उसने नहीं मालूम कि ये लोग किस मुकदमें में जेल गये हैं। उसे यह भी नहीं मालूम कि हाजिर अदालत मुल्जिम किस मुकदमें में जेल से आये हैं। हाजिर अदालत मुल्जिमान ने यह बताया कि तुम्हारे भाई का मुकदमा न्यायालय में चल रहा है, उसमें गवाही देना है। इस साक्षी द्वारा इस सुझाव को गलत बताया

गया है कि उसने पुलिस को यह बात बताई हो कि उसके भाई महावीर को उसके सामने हाजिर अदालत मुल्जिम पप्पू उर्फ वीर सिंह व निर्भय सिंह तथा गैर हाजिर अदालत मुल्जिम भान सिंह ने गोली मारकर हत्या की हो, परन्तु आज मुल्जिमानों से मिल जाने के कारण न्यायालय में सही बात नहीं कह रहा है। **बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में साक्षी ने कथन किया कि** पप्पू वीर सिंह उसके भाई महावीर की हत्या करने में अपने भाई भान सिंह के साथ नहीं था। उसके भाई महावीर की हत्या पप्पू उर्फ वीर सिंह के बहनोई निर्भय सिंह का कोई षड़यन्त्र नहीं था। प्रदर्श क –2 पर पुलिस वालों ने उसके हस्ताक्षर करवा लिये। उसने कोई प्रार्थना पत्र लिखवाकर नहीं दिया था। पुलिस वालों ने अपनी तरफ से पप्पू उर्फ वीर सिंह का नाम बढ़ा दिया था। उपरोक्त साक्षी के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उसके भाई मृतक महावीर की हत्या अभियुक्त भान सिंह द्वारा की गयी थी। हाजिर अदालत पप्पू उर्फ वीर सिंह एवं निर्भय सिंह दोनों उसके भाई की हत्या करने में शामिल नहीं थे। उसने पुलिस को कोई प्रार्थनापत्र नहीं दिया था जिसमें यह कथन किया हो कि उसके भाई महावीर की हत्या कारित करने में अभियुक्तगण पप्पू उर्फ वीर सिंह एवं निर्भय शामिल है। उसने मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में यह स्पष्ट कथन किया है कि उसके भाई महावीर की हत्या पप्पू उर्फ वीर सिंह के बहनोई निर्भय सिंह का कोई षड़यन्त्र नहीं था। पुलिस ने उसके कागज जिसे प्रदर्श क –2 के रूप में न्यायालय में साबित किया है उस पर उसके हस्ताक्षर करवा लिये थे। इस साक्षी द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन भान सिंह के लिये तो किया गया है परन्तु अभियुक्तगण पप्पू उर्फ वीर सिंह एवं निर्भय सिंह के लिये नहीं किया गया है। तहरीर में भी अभियुक्तगण पप्पू उर्फ वीर सिंह एवं निर्भय सिंह का नाम नहीं लिया गया है। इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन यह साबित करने में विफल रहा है कि अभियुक्तगण पप्पू उर्फ वीर सिंह एवं निर्भय सिंह उसके भाई महावीर की हत्या करने के षडयंत्र में शामिल थे या उनके द्वारा वादी मुकदमा के भाई की हत्या की। इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक को लेशमात्र समर्थन प्राप्त नहीं होता है। यह साक्षी घटना का चक्षदुर्शी साक्षी है परन्तु इसने स्वयं न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित नहीं किये जाने का कथन किया है।

43. बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि घटना के चक्षुदर्शी साक्षी पी.डब्लू.–2 ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। यह मृतक का सगा चाचा है। इसने अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित नहीं किये जाने का कथन अपनी मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा में किया है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाना चाहिए। अभियोजन द्वारा उपरोक्त तर्क का खण्डन किया गया है तथा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पी.डब्लू.–2 रामसनेही ने विवेचक को दिये गये अपने धारा 161 दं.प्र.सं. के बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाना चाहिए। इस न्यायालय द्वारा पी.डब्लू.–2 रामसनेही के साक्ष्य का परिशीलन किया गया। अभियोजन द्वारा तथ्य के साक्षी रामसनेही को परीक्षित कराया गया। यह साक्षी घटना का चक्षदुर्शी साक्षी है एवं मृतक महावीर सिंह का चाचा है। इस साक्षी ने न्यायालय के समक्ष अपनी मुख्य परीक्षा में यह अभिकथित किया है कि महावीर उसका भतीजा था। आज से लगभग 9 वर्ष की बात है। शाम के 6 बजे वह व उसका भतीजा देवेन्द्र सिंह खेतों पर गये थे। जानवरों का चारा लेने गये थे। वहीं पास में राजू का खेत है। राजू के खेत पर भान सिंह आ गया तब महावीर से कहा कि वह उसकी मुखबिरी करता है। इतने में भान सिंह ने गोली मार दी अकेले भान सिंह थे और कोई नहीं था। हाजिर अदालत मुल्जिम पप्पू उर्फ वीर सिंह व निर्भय सिंह ने उसके भतीजे महावीर सिंह के गोली नहीं मारी न घटनास्थल पर थे। अभियोजन की प्रार्थना पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया। इस साक्षी ने अभियोजन द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में यह अभिकथित किया है कि उसने पुलिस को व उच्चाधिकारी को यह नहीं बताया कि पप्पू उर्फ वीर सिंह व निर्भय सिंह निर्दोष हैं। यह लोग घटना में शामिल नहीं थे। उसने पुलिस को बयान दिया था, परन्तु यह बताया था कि भान सिंह ने गोली मारकर हत्या की है। इस साक्षी ने विवेचक को दिया गया अपना धारा 161 दं.प्र.सं. का बयान नहीं देने का कथन किया है। पुलिस ने उसका यह बयान कैसे लिख लिया वह इसकी वजह नहीं बता सकता। इस साक्षी द्वारा इस सुझाव को गलत बताया गया है कि भान सिंह की मृत्यु हो चुकी है,

इसलिए वह केवल भान सिंह द्वारा महावीर को गोली मारकर हत्या वाली बात झूठी कह रहा है। बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने यह स्पष्ट कथन किया है कि राजू सिंह के खेत पर वह व उसके दोनों भतीजे देवेन्द्र सिंह व महावीर सिंह सायं 06.00 बजे का था, केवल भान सिंह तमंचा लेकर आया था और कहा था कि पुलिस की मुखबरी करता है और उसी ने महावीर के गोलियां मारी थी। महावीर की मौके पर मृत्यु हो गयी थी। पप्पू उर्फ वीर सिंह मौके पर नहीं था। इस घटना में निर्भय सिंह ने हत्या कराने का कोई षड़यंत्र नहीं किया था। पुलिस ने इस मुकदमें में झूठे मुल्जिम बना दिये थे। उसने विवेचक को केवल भान सिंह द्वारा गोली मारने की बात बतायी थी। पप्पू उर्फ वीर सिंह व निर्भय सिंह का नाम नहीं बताया था। पुलिस ने उसके बयानों में पप्पू उर्फ वीर सिंह का नाम गलत अंकित किया है। उपरोक्त साक्षी के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि यह घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद था। यह घटना का चक्षदुर्शी साक्षी है। इसके द्वारा अभियुक्त भान सिंह द्वारा उसके भतीजे महावीर की हत्या कारित की गयी है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा में अभियुक्तगण पप्पू उर्फ वीर सिंह एवं निर्भय सिंह द्वारा हत्या कारित नहीं किये जाने का कथन स्पष्ट किया है। इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक को कोई समर्थन प्राप्त नहीं होता है न ही इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन यह साबित करने में विफल रहा है कि अभियुक्तगण पप्पू उर्फ वीर सिंह एवं निर्भय सिंह द्वारा मृतक महावीर सिंह की हत्या कारित की गयी है या उसके हत्या करने के षडयंत्र में वह अभियुक्त भान सिहं के साथ शामिल थे।

44. बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये तथ्यों के अन्य साक्षीगण पी.डब्लू.–3 शिववीर सिंह, पी.डब्लू.–4 गुलाब सिंह, पी.डब्लू.–5 छोटे एवं पी.डब्लू.–7 जयवीर सिंह यह सभी साक्षीगण अपनी मुख्य परीक्षा में पक्षद्रोही घोषित किये गये है। इनके द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है इसीलिए अभियुक्तगण पप्पू उर्फ वीर सिंह एवं निर्भय सिंह को दोषमुक्त किया जाना चाहिए। अभियोजन द्वारा उपरोक्त तर्कों का खण्डन किया गया तथा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पी .डब्लू.–3 लगायत पी.डब्लू.–5, पी.डब्लू.–7 ने विवेचक के समक्ष दिये गये अपने बयान धारा 161 दं.प्र.सं. में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है इसलिए अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाना चाहिए। इस न्यायालय द्वारा पी.डब्लू.–3 लगायत पी.डब्लू.–5 एवं पी.डब्लू.–7 के साक्ष्य का परिशीलन किया गया।

45. **तथ्य के साक्षी पी.डब्लू.–3 शिववीर सिंह ने न्यायालय के समक्ष अपनी मुख्य परीक्षा के बयान में कथन किया है** कि ग्राम जाजपुर के महावीर की हत्या आज से लगभग 9 वर्ष से अधिक समय हो गया है तब हुयी थी। उसने सुना था कि महावीर की हत्या बदमाशों ने की थी। दिनांक 01.02.2009 को निर्भय सिंह उसके पास नहीं आये थे तथा उसे यह भी जानकारी नहीं है कि भान सिंह व महावीर दोनों दोस्त थे। हाजिर अदालत मुल्जिम निर्भय सिंह व पप्पू उर्फ वीर सिंह उसके पास नहीं आये थे और न ही उसे महावीर की हत्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है और न निर्भय सिंह ने आके इस घटना के सम्बन्ध में षडयंत्र कराने में उससे कोई बात की थी। **पक्षद्रोही घोषित किये जाने के उपरान्त इस साक्षी ने अभियोजन द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है** कि पुलिस ने उसका कोई बयान नहीं लिया था। उसने धारा 161 सीआरपीसी का बयान विवेचक को नहीं दिया था। उपरोक्त बातें उसके बयान में कैसे लिख ली, वह इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। **बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में साक्षी ने कथन किया कि** महावीर की हत्या की घटना के सम्बन्ध में उसे कोई जानकारी नहीं है और न ही निर्भय उसके पास आया था, न उसे विवेचक मिले थे, न कुछ पूछताछ की थी। इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक को कोई समर्थन प्राप्त नहीं होता है। उसने स्पष्ट कथन किया है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। तथ्य के अन्य साक्षी **पी.डब्लू.–4 गुलाब सिंह ने अपने मुख्य परीक्षा के बयान में कथन किया है** कि दिनांक 28.01.2009 को इन्दौर में हुण्डई कम्पनी में सिक्योरिटी का काम कर रहा था गांव जाजपुर में नहीं रह रहा था। 28.01.2009 को शाम 6 बजे न भान सिंह व पप्पू उर्फ वीर सिंह मिला था, क्योंकि वह गांव में नहीं था। उसके गांव के महावीर की हत्या उसके सामने नहीं हुयी थी, क्योंकि घटना के समय

वह गांव में नहीं था। घटना के सम्बन्ध में उसे कोई दरोगाजी नहीं मिले थे और न ही उसका कोई बयान लिया था। **पक्षद्रोही घोषित होने के उपरान्त इस साक्षी ने अभियोजन द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है** कि उसने धारा 161 दं.प्र.सं. का बयान उसने दरोगा जी को नहीं दिया, कैसे लिख वह इसकी वजह नहीं बता सकता है। **बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में साक्षी ने कथन किया कि** उसके गांव के महावीर की हत्या बदमाशों ने 28.01.2009 को की थी। मगर वह घटना के कई महीना पहले से इंदौर में हर्ष हुण्डई इंदौर में सिक्योरिटी का काम करता था। वह अपने गांव जाजपुर में नहीं आया था, इसलिये दरोगा जी नहीं मिले थे और न कोई उसने बयान दिया था। उसके बयानों में दरोगा जी ने पप्पू उर्फ वीर सिंह व निर्भय सिंह की षड़यंत्र वाली बात अपने आप लिख ली है। इस साक्षी के साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि वह घटना के समय गांव में मौजूद नहीं था। उसने पुलिस को विवेचना के दौरान किसी प्रकार का बयान नहीं दिया था। इस साक्षी का साक्ष्य सुनी सुनाये साक्ष्य पर आधारित है। तथ्य के एक अन्य साक्षी **पी.डब्लू.–5 छोटे ने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य परीक्षा के बयान में कथन किया है** कि दिनांक 28.01.2009 को वह अपने खेतों पर था। जब वह रात में घर पर आया तब उसे पता चला कि उसके गांव के महावीर की हत्या बदमाशों ने कर दी है। उसने उस समय फायर की आवाज नहीं सुनी थी और न उस दिन उसके पास से उसका भाई भान सिंह व उसका भाई पप्पू वीर सिंह नहीं निकला था न ही महावीर के कत्ल में निर्भय सिंह का कोई हाथ नहीं है और न ही उसका कोई षडयंत्र है। घटना के 3–4 दिन बाद उसके पास व गुलाब सिंह के पास भान सिंह, निर्भय, पप्पू उर्फ वीर सिंह रात में नहीं आये थे न ही उनसे उसकी कोई बातचीत हुयी थी। हाजिर अदालत मुल्जिमान निर्भय, पप्पू उर्फ वीर सिंह को देखकर कहा कि यह लोग महावीर की हत्या में शामिल नहीं थे और न ही उसका कोई षडयंत्र था। **पक्षद्रोही घोषित** होने के उपरान्त **इस साक्षी ने अभियोजन द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है** कि धारा 161 सीआरपीसी का बयान उसने विवेचक को नहीं दिया था, कैसे लिख लिया, वह वजह नहीं बता सकता है। वह आज स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के समन पर आया है। **बचाव पक्ष की ओर से की गयी जिरह में साक्षी ने कथन किया कि** जहां महावीर का कत्ल राजू के खेत में हुआ था, वहां से उसके खेत एक किलोमीटर दूरी पर हैं। जब खेतों से वापस आया तब पता चला कि बदमाशों ने महावीर की हत्या कर दी है। इस साक्षी के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वह घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। यह घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। इसके द्वारा घटना स्वयं नहीं देखी है। इसने केवल घटना के बारे में सुना है। अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये तथ्य के अन्तिम साक्षी **पी.डब्लू.–7 जयवीर सिंह है, जो मृतक का भाई है, ने न्यायालय के समक्ष अपनी मुख्य परीक्षा के बयान में कथन किया है** कि वह बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है। घटना करीब 9–10 साल पहले की है। घटना वाले दिन वह इन्दौर में था। उसे फोन से सूचना मिली कि उसके भाई महावीर की हत्या हो गया है। इसके बाद वह इन्दौर से दूसरे दिन वापस आया तो गांववालों तथा घरवालों ने बताया कि उसके भाई महावीर की हत्या भान सिंह ने की है। हाजिर अदालत मुल्जिम पप्पू उर्फ वीर सिंह, निर्भय ने उसके भाई की हत्या नहीं की और न ही निर्भय सिंह ने उसके भाई को मारने में षडयंत्र रचा। दरोगाजी ने उसके बयान नहीं लिये थे। **पक्षद्रोही घोषित किये जाने के उपरान्त इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है** कि गवाह को धारा 161 सीआरपीसी का बयान उसने विवेचक को ऐसा बयान नहीं दिया था। पता नहीं विवेचक ने कैसे लिख लिया घटना के समय वह इन्दौर में था। 10–11 साल पहले की घटना है। उसे फोन से सूचना उसके घरवालों ने दी थी कि तुम्हारे भाई महावीर की हत्या कर दी गयी है। जब वह घर पहुंचा तो उसे घर वालों ने बताया कि महावीर की हत्या भान सिंह ने गोली मार कर की है। निर्भय सिंह तथा पप्पू उर्फ वीर सिंह व हाजिर अदालत मुल्जिम उसके गांव के है। इन दोनों लोगों ने उसके भाई महावीर की हत्या का न तो कोई षड़यन्त्र रचा था और न ही उसके भाई की हत्या की थी। अभियुक्त भान सिंह की मृत्यु हो चुकी है। उपरोक्त इस साक्षी के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि घटना वाले दिन वह गांव में मौजूद नहीं था इन्दौर गया हुआ था उसके परिवार वालों ने उसे फोन से सूचना दी थी जब वह घर आया तब उसे यह बताया गया था कि भान सिंह ने उसके भाई महावीर की हत्या कर दी है। यह साक्षी घटना का चक्षदुर्शी साक्षी नहीं है। इस साक्षी का साक्ष्य सुनी सुनायी बात पर आधारित है। उपरोक्त साक्षीगण पी.डब्लू.–3,

पी.डब्लू.–4, पी.डब्लू.–5 व पी.डब्लू.–7 घटना के चक्षदुर्शी साक्षी नहीं है। इन्होंने घटना के बारे में सुने जाने का कथन किया है।

46. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था में यह अभिव्यक्त किया गया है कि As per section 60 of Evidence act hearsay deposition of a witness is not admissible and cannot be read as evidence. Held In Kalyan Kumar Gogoi vs Ashutosh Agnihotri & Anr on 18 January, 2011 SC 760 by Apex court The reasons why hearsay evidence is not received as relevant evidence are: (a) the person giving such evidence does not feel any responsibility. The law requires all evidence to be given under personal responsibility, i.e., every witness must give his testimony, under such circumstance, as expose him to all the penalties of falsehood. If the person giving hearsay evidence is cornered, he has a line of escape by saying "I do not know, but so and so told me", (b) truth is diluted and diminished with each repetition and (c) if permitted, gives ample scope for playing fraud by saying "someone told me that...........". It would be attaching importance to false rumour flying from one foul lip to another.

47. उपरोक्त साक्षीगण के साक्ष्य से अभियोजन कथानक को कोई समर्थन नहीं मिलता है। अतः अभियोजन कथानक संदिग्ध प्रतीत हो जाता है। यह साक्षीगण घटना के चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है इन्होंने घटना स्वयं की आंखों से नहीं देखी है। इनके द्वारा प्रतिपरीक्षा में स्वयं कथन किया है कि वह घटना के समय गांव में मौजूद नहीं थे। उपरोक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था के अनुसार अभियोजन साक्षीगण के बयानों को अभियोजन के पक्ष में नही पढ़े जा सकते क्योंकि इसका साक्ष्य सुनी सुनायी बातों पर आधारित है।

48. बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्तगण पप्पू उर्फ वीर सिंह एवं निर्भय सिंह का नाम नहीं लिया गया है न ही वह घटनास्थल पर उपस्थित थे। अभियोजन द्वारा तथ्य के किसी भी साक्षीगण द्वारा अपने साक्ष्य में यह कथन नहीं किया गया है कि अभियुक्तगण घटनास्थल पर उपस्थित थे और उन्होंने भान सिंह के साथ मिलकर फायर किये। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। घटना दिनांक 28.01.2009 करीब 6.00 बजे शाम की है जबकि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 28.01.2009 को रात्रि में 21.15 बजे पर दर्ज करायी गयी है। घटना से पुलिस स्टेशन की दूरी 08 किलोमीटर थी। विलम्ब का कारण अभियोजन द्वारा नहीं बताया गया है जिससे अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के साक्ष्य में भिन्नता होने से यह एक भौतिक विरोधाभाष है। वादी द्वारा अपने साक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अभियुक्तगण पप्पू उर्फ वीर सिंह एवं निर्भय सिंह द्वारा घटना कारित नहीं की गयी है। अभियोजन द्वारा उपरोक्त तर्क का खण्डन किया गया तथा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट त्वरित से लिखायी गयी है। घटना वाले दिन ही प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखायी गयी थी। स्वयं वादी ने विवेचना के दौरान एक प्रार्थनापत्र में हस्ताक्षर किया एक कागज विवेचक को दिया था जिसमें उसने अभियुक्तगण पप्पू उर्फ वीर सिंह एवं निर्भय सिंह को मृतक महावीर की हत्या करने एवं षडयंत्र में नामांकित किया था इसलिए अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाना चाहिए। इस न्यायालय द्वारा पत्रावली पर मौजूद प्रथम सूचना रिपोर्ट कागज संख्या 4 क/1 एवं तहरीर कागज संख्या 4 क/2 का सम्यक परिशीलन किया गया, वादी मुकदमा के बयान का परिशीलन किया गया। यह सत्य है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना वाले दिन दर्ज करा दी गयी थी एवं तहरीर कागज संख्या 4 क/2 अभियुक्तगण पप्पू उर्फ वीर सिंह एवं निर्भय सिंह नामजद नहीं है। पी .डब्लू.–1 देवेन्द्र सिंह ने न्यायालय के समक्ष अपनी मुख्य परीक्षा में यह अभिकथित किया है कि दिनांक 28.01.2009 को वह अपने बड़े भाई महावीर सिंह व चाचा रामसनेही के साथ घर से लगभग 6 बजे शाम अपने खेत पर गया था। जब वह लोग राजू सिंह पुत्र हुकुम सिंह के गांव के पास पहुंचे तो उसके ही गांव के भान सिंह आ गये और अपने हाथ में लिये कट्टे से भान सिंह ने उसके भाई महावीर के ऊपर गोली चला

दी और कई फायर किये जो उसके भाई के शरीर में लगे। गोली चलने के कारण उनकी मौके पर मौत हो गयी। वे लोग भय के कारण खेतों में छुप गये। उसके भाई को मारने वालों में और कोई नहीं थे, केवल भान सिंह थे। पत्रावली में 4क/2 जो तहरीर है यह वही तहरीर है जो उसने राजा सिंह से लिखवायी थी और थाना अजीतमल में जाकर दी थी और पुलिस ने उसका मुकदमा पंजीकृत किया था। पत्रावली में कागज संख्या 11क/1 जो एस.पी. महोदय औरैया को सम्बोधित साक्षी का दिया हुआ प्रार्थनापत्र है उसे पढ़कर सुनाया गया कि उसने इसमें अपने बड़े भाई को भान सिंह व पप्पू उर्फ वीर सिंह द्वारा गोली मारकर मार डालने व एक अन्य व्यक्ति को पहचान नहीं पाया था जिस पर गवाह ने कहा कि उसने यह प्रार्थनापत्र नहीं दिया था। हाजिर अदालत मुल्जिमान पप्पू उर्फ वीर सिंह और निर्भय सिंह को देखकर कहा कि ये लोग उसके भाई महावीर को गोली मारने वालों में शामिल नहीं थे और न ही इन लोगों ने उसके भाई को गोली मरवाने में कोई षडयंत्र किया। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि पप्पू वीर सिंह उसके भाई महावीर की हत्या करने में अपने भाई भान सिंह के साथ नहीं था। उसके भाई महावीर की हत्या पप्पू उर्फ वीर सिंह के बहनोई निर्भय सिंह का कोई षड़यन्त्र नहीं था। प्रदर्श क–2 पर पुलिस वालों ने उसके हस्ताक्षर करवा लिये। उसने कोई प्रार्थना पत्र लिखवाकर नहीं दिया था। पुलिस वालों ने अपनी तरफ से पप्पू उर्फ वीर सिंह का नाम बढ़ा दिया था। **पी.डब्लू.–12 उपनिरीक्षक सर्वेश कुमार ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है** कि वह दिनांक 09.07.2009 को थाना अजीतमल जनपद औरैया पर H.M. के पद पर थाना औरैया में कार्यलेख के पद पर तैनात था उसी दिनांक को एस.एस.आई. विजय कुमार सिंह द्वारा एक फर्द बरामदगी एक अदद तमंचा 315 बोर व दो अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर (आला कतल) सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या 17/2009 धारा 302/120 बी IPC थाना अजीतमल जनपद औरैया FIR पंजीकृत करने हेतु उसके समक्ष प्रस्तुत की थी। उसने उसी फर्द बरामदगी को शब्द व शब्द अंकित कर चिक FIR संख्या 130/2009 किता करके मुकदमा अपराध संख्या 145/2009 बनाम पप्पू उर्फ वीर सिंह पुत्र छोटे नाथू सिंह निवासी ग्राम जाजपुर खुर्द थाना अजीतमल जिला औरैया अन्तर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम में कायम किया था व चिक FIR इस प्रकरण से सम्बन्धित ST No. 53/2017 पर मौजूद कागज संख्या 4क/1 के रूप में आज उसके सामने है जो उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है जिसकी वह पहचान पुष्टि करता है जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया। इस प्रकरण का खुलासा उसने जी.डी. के रपट नं. 34 समय 16.35 बजे दिनांक 09.07.2009 को मूल के साथ कार्बन लगाकर एक ही प्रक्रिया में अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में किया था। मूल कायमी जी.डी. की कार्बन प्रति ST N. 53/2017 पर मौजूद कागज संख्या 6क/1 के रूप में द्वारा V.C.आज उसके सामने है जो हस्तलेख व हस्ताक्षर की कार्बन प्रति है जिस पर थाना अजीतमल की मुहर अंकित है जिसकी वह पहचान पुष्टि करता है जिस पर प्रदर्श क–9 डाला गया। कायमी जी.डी. में उसने वादी मुकदमा द्वारा दाखिल किये गये अभियुक्त पप्पू उर्फ वीर सिंह व उससे बरामद माल का भी हवाला अंकित किया था। विवेचनाधिकारी ने उसका बयान लिया था। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में अभिकथित किया है कि कि थाना अजीतमल के एस०एस०आई० विजय कुमार सिंह मुल्जिम पप्पू उर्फ वीर सिंह को जिला कारागार इटावा से सी०जे०एम० के आदेश पर लाये थे और सिकरौली बिहड़ में एक अदद तमंचा 315 बोर व दो अदद कारतूस 315 बोर बरामदगी किया था, मुकदमा पंजीकृत कराया था। न्यायालय को वादी द्वारा दिया गया स्पश्टीकरण विष्सनीय प्रतीत होता है। अतः यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण पप्पू उर्फ वीर सिंह एवं निर्भय सिंह द्वारा मृतक महावीर की हत्या नहीं की गयी है।

49. बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पत्रावली पर मौजूद शव विच्छेदन आख्या से यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित की गयी है। शव विच्छेदन आख्या से अभियोजन कथानक साबित नहीं होता है। इसलिए अभियुक्तगण पप्पू उर्फ वीर सिंह एवं निर्भय सिंह को दोषमुक्त किया जाना चाहिए। अभियोजन द्वारा उपरोक्त तर्क का खण्डन किया गया तथा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि शव विच्छेदन आख्या में मृत्यु का कारण Shock and hemorrhage as a result of anti mortem injury mention है। शव विच्छेदन आख्या में anti mortem injury

वर्णित की गयी है जो फायर आर्म से आना बताया गया है इसलिए शव विच्छेदन आख्या से अभियोजन कथानक को पूर्ण समर्थन प्राप्त होता है तथा अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाना चाहिए। इस न्यायालय द्वारा पत्रावली पर मौजूद शव विच्छेदन आख्या कागज संख्या 10क/1 का एवं न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराये गये चिकित्सक पी.डब्लू.–9 डॉ० ओमप्रकाश के साक्ष्य का परिशीलन किया गया।

50. **पी.डब्लू.–9 डॉ० ओमप्रकाश ने न्यायालय के समक्ष अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है** कि वह दिनांक 29.01.2009 को P.H.C. खानपुर औरैया जनपद औरैया पर चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात था। उसी दिनांक को थाना अजीतमल जनपद औरैया से C.P. 304 मंशाराम H.G. 298 चन्द्रभान बाजपेयी मृतक महावीर सिंह पुत्र नाथू सिंह निवासी जगपुर अजीतमल जिला औरैया का सीलबन्द शव P.M.कराने हेतु उसके पास आये थे। मृतक की उम्र लगभग 45 वर्ष थी हाथ–पैरों में अकड़न थी। मृत्यु पूर्व चोटे–1–अग्निअस्त्र प्रवेश घाव 1cmx1cmx स्कैल्प गहरा, सिर में दाई ओर दाये कान से 5cm ऊपर, किनारा धसे हुये अन्दर की ओर। 2–अग्निअस्त्र प्रवेश घाव 1cmx1cmx बक्कल कैविटी गहरा दाये गाल पर नाक से 4cm दूर किनारे अन्दर की ओर। 3–अग्निअस्त्र निकास घाव चोट नं.–8 क, 2.5cmx2.5cmx हड्डी गहरा गले के दायी ओर सीधे कान से 8cm नीचे, किनारे बाहर की ओर। 4–कन्टूयजन 3cm x 2 cm x छाती पर स्टर्नल नॉय के ऊपर। 5– अग्निअस्त्र प्रवेश घाव 1cmx1cmx हड्डी गहरा बायी फोर आर्म के मध्य भाग पर पीछे की तरफ किनारे अन्दर की ओर छठवां अग्निअस्त्र प्रवेश घाव 1cmx1cmx आर–पार सीधे हथेली के पीछे के तरफ किनारे अन्दर की ओर सातवां अग्निअस्त्र निकास घाव चोट नम्बर 6 वाली क, 3cmx3cm आर–पार सीधे हथेली के पीछे की तरफ किनारे निकले हुये बाहर की ओर। अग्निअस्त्र प्रवेश घाव 1cmx1cmx चेस्ट गैविटी गहरा, चैस्ट के बांयी ओर किनारे अन्दर की ओर। 9 वां अग्निअस्त्र प्रवेश घाव 1cmx1cmx हड्डी गहरी सीधा टांग पर। 10 वां अग्निअस्त्र निकास घाव चोट नम्बर 9 वाली क, 3cmx3cmx हड्डी गहरा सीधी टांग के मध्य भाग पर किनारे बाहर की ओर उसके नीचे फीमर बोन टूटी हुयी। आन्तरिक परीक्षा–खोपड़ी में एक मैटलिक बुलट इन्जरी नम्बर–1 के नीचे से प्राप्त हुयी। नम्बर–2 एक मैटिलिक बुलट इन्जरी नम्बर–2 के नीचे से प्राप्त हुयी। नम्बर–3 एक धातु की बुलट इन्जरी नम्बर–5 के नीचे से प्राप्त हुयी। इस प्रकार कुल 3 बुलट्स प्राप्त हुयी जिनको कांस्टेबिलों को दे दिया शील्ड लिफाफे में करके। दिमाग एवं झिल्लियां फीकी थी फेफड़े की झिल्ली फटी हुयी थी दोनों फेफड़े फटे हुये थे। ह्रदय खून से खाली था। छाती की कैविटी में लगभग आधा लीटर खूनी द्रव मौजूद था। पेट में लगभग 100 ग्राम खाद्य पदार्थ था। छोटी आंत में पचा हुआ खाना एवं गैसिस व बड़ी आंत में मल पदार्थ व गैसिस थी। लीवर, स्पलीन, किडनी फीके थे। मृत्यु का कारण अत्यधिक खून बहने एवं सदमें से हुयी थी। शरीर पर कपड़ा बनयान–एक, शर्ट–एक, अण्डरवियर–एक, गमछा–एक थे जो कांस्टेबिल को दे दिये। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसने अपने हस्तलेख से तैयार की जिनकी वह शिनाख्त करता है। वह PM रिपोर्ट मृतक महावीर सिंह पत्रावली कागज सँख्या 10क/1 के रूप में आज उसके सामने है जिसकी वह पहचान व पुष्टि करता है जिसे प्रदर्श क–6 के रूप में साबित किया है। PM कराने वाले पुलिस वाले मृतक के शव के साथ अन्य प्रपत्र जिनमें पंचायतनामा, चिट्ठी आर.आई., चिट्ठी CM, फोटोलाश, चालान लाश, FIR की कार्बन प्रति लाये थे जो पत्रावली पर आज उसके सामने है जिन पर उसने हस्ताक्षर बनाये थे जिनकी वह पहचान व पुष्टि करता है। **इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है** कि मृतक के सभी गनशॉट इन्जरी करीब 20 फुट की दूरी से आना संभव है। मृतक को कोई पास की चोट आना सम्भव नहीं है। पी०एम० करते समय मृतक की बॉडी में 3 बुलेट बरामद हुये थे वो आज उसके सामने नहीं है। मृतक की मृत्यु दिनांक 28.01.2009 को 05.00 बजे पी०एम० के आस पास आना सम्भव है। उपरोक्त चिकित्सक के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मृतक की मृत्यु गनशॉट इन्जरी से आना हुयी है परन्तु यह गनशॉट इंजरी अभियुक्तगण पप्पू उर्फ वीर सिंह एवं निर्भय सिंह द्वारा दी गयी है, यह साबित नहीं होता है। अभियोजन यह साबित करने में विफल रहा है कि शव विच्छेदन आख्या में वर्णित गनशॉट इंजरी अभियुक्तगण पप्पू उर्फ वीर सिंह एवं निर्भय सिंह द्वारा पहुंचायी गयी है।

51. बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पंचनामे के साक्षी पी.डब्लू.–6 महताब सिंह के साक्ष्य से यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्तगण पप्पू उर्फ वीर सिंह एवं निर्भय सिंह द्वारा घटना कारित की गयी है क्योंकि रायपंचो ने दोनों अभियुक्तगण का नाम नहीं लिया है इसलिए अभियुक्तगण पप्पू उर्फ वीर सिंह एवं निर्भय सिंह को दोषमुक्त किया जाना चाहिए। अभियोजन द्वारा उपरोक्त तर्क का खण्डन किया गया तथा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि रायपंच पी.डब्लू.–6 महताब सिंह द्वारा अभियुक्तगण का नाम लिया गया है इसलिए अभियुक्तगण पप्पू उर्फ वीर सिंह एवं निर्भय सिंह को दोषसिद्ध किया जाना चाहिए। इस न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा तथ्य के साक्षी **पी.डब्लू.–6 महताब सिंह,** जो पंचनामे का साक्षी है उसने न्यायालय के समक्ष अपनी **मुख्य परीक्षा में कथन किया है** कि दिनांक 29.01.2009 को उसके गांव के मृतक महावीर सिंह पुत्र नत्थू सिंह के शव का पंचायतनामा की कार्यवाही उसके समक्ष सम्पादित की गयी थी। वह उसमें पंचनान नियुक्त किया गया था। सभी पंचों ने मृतक का शव को पोस्टमार्टम कराने की सलाह दी थी। पंचायतनामा शामिल पत्रावली कागज संख्या 1 लगायत 2 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है जिसकी वह पुष्टि करता है जिसे प्रदर्श क–3 के रूप में साबित किया है। उसी दिन उसके समक्ष विवेचक ने मृतक के शव के पास से एक खोखा कारतूस 315 बोर व एक अदद बुलट जिसमें खोल लगा था कब्जे में लिया था। फर्द मौके पर तैयार की थी। फर्द पर उसके हस्ताक्षर बनवाये थे। फर्द शामिल पत्रावली 7 क/1 पर उसके हस्ताक्षर मौजूद है जिसे प्रदर्श क–4 के रूप में साबित किया है तथा उसी दिन विवेचक ने घटना स्थल से खून आलूदा व सादा मिट्टी दो डब्बों में लेकर सर्व मोहर किया था जिस पर उसके हस्ताक्षर बनवाये थे जो पत्रावली में सम्मिलित है कागज संख्या 7 क/2 है जिस पर बने अपने हस्ताक्षरों की पुष्टि करता है जिसे प्रदर्श क–5 के रूप में साबित किया है। विवेचक ने उसका बयान लिया था। उपरोक्त साक्षी के साक्ष्य से यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्तगण पप्पू उर्फ वीर सिंह एवं निर्भय सिंह ने घटना कारित की हो।

52. बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि नक्शा नजरी प्रदर्श क –12 से घटना साबित नहीं होती है क्योंकि विवेचक द्वारा इसमें संख्या 5 पर Ⓑ स्थान पर अभियुक्त द्वारा मृतक महावीर पर कई फायर करना बताया गया। विवेचक द्वारा नक्शा नजरी में अभियुक्तगण शब्द वर्णित नहीं है जिससे यह साबित होता है कि घटना कारित करने में केवल एक अभियुक्त था। अतः अभियोजन कथानक नक्शा नजरी से साबित नहीं होता है। अभियोजन द्वारा उपरोक्त तर्क का खण्डन किया गया तथा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि नक्शा नजरी से घटना साबित होती है क्योंकि नक्शा नजरी कागज संख्या 8 क/1 में अभियुक्त पप्पू उर्फ वीर सिंह की निशानदेही पर तमंचा बरामद होना दर्शाया गया है। नक्शा नजरी कागज संख्या 8 क/1 में संख्या 1 पर (A) स्थान वह है, जहां तमंचा खोदकर बरामद होना प्रदर्शित है। अतः अभियोजन कथानक साबित होता है कि अभियुक्तगण पप्पू उर्फ वीर सिंह व निर्भय सिंह द्वारा घटना कारित की गयी है। इस न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दो नक्शा नजरी क्रमशः सत्र वाद संख्या 52/2017 नक्शा नजरी कागज संख्या 13 क/1 एवं सत्र वाद संख्या 53/2017 नक्शा नजरी कागज संख्या 8 क/1 उपलब्ध है जिनका सम्यक परिशीलन किया गया है जिसमें प्रदर्श क–12 वह नक्शा नजरी है जहां मृतक महावीर की हत्या दर्शायी गयी है 1. →→इस चिन्ह से वादी तथा गवाहान एवं मृतक का मार्ग दर्शाया गया है।2. –» –»इस चिन्ह से मुल्जिम के आने तथा घटना के बाद जाने का मार्ग दर्शाया गया है। 3. Ⓐ स्थान वह स्थान है जहां पर मृतक महावीर सिंह का शव मिला तथा इसी स्थान पर मृतक की गोलियों घायल कर हत्या की गयी तथा इसी स्थान पर मृतक के शव को पास खून आलूदा मिट्टी तथा एक बुलट मिला जो कब्जे में लिया गया। 4. Ⓒ स्थान में एक खोखा कारतूस 315 बोर का बरामद हुआ जो कब्जे में लिया गया। 5. Ⓑ स्थान पर अभियुक्त द्वारा मृतक महावीर पर कई फायर करना बताया गया। 6. Ⓓ स्थान पर वादी एवं गवाहान द्वारा सरसो के खेत में छिपना बताया गया तथा घटना देखना भी बताया गया। 7. Ⓐ स्थान से Ⓑ स्थान की दूरी करीब 4 कदम तथा Ⓓ स्थान से Ⓑ स्थान की दूरी 6 कदम है। 8. गांव जाजपुर की दूरी घटनास्थल से करीब पौन कि.मी. दूर पश्चिम है। दूसरा नक्शा नजरी सत्र वाद संख्या 53/2017 नक्शा नजरी कागज संख्या 8 क/1 में 1. (A)

स्थान जहां तमंचा खोदकर बरामद करवाया। 2. →→ चिन्ह जहां से पुलिस पार्टी का आना दर्शाया गया है। प्रदर्श क–12 घटना स्थल का नक्शा नजरी है, जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि घटनास्थल साक्षी पी0 डब्लू0–1 व पी0 डब्लू0–2 जो घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं, के द्वारा अपने साक्ष्य में जो घटनास्थल बताया गया है, वह और नक्शा नजरी दोनों एक–दूसरे के समान हैं तथा उनके द्वारा अपने साक्ष्य में भान सिंह द्वारा हत्या कारित करना बताया है। नक्शा नजरी में भी विवेचक द्वारा एक ही अभियुक्त का वर्णन किया गया है जिससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि अभियुक्त भान सिंह जो मृतक है वह घटनास्थल पर मौजूद था तथा उसके द्वारा घटना कारित की गयी होगी परन्तु अभियुक्तगण पप्पू उर्फ वीर सिंह तथा निर्भय सिंह की मौजूदगी नक्शा नजरी में दर्शायी नहीं गयी है न ही तथ्यों के साक्षीगण पी .डब्लू.–1 एवं पी.डब्लू.–2 द्वारा इन दोनों अभियुक्तगण पप्पू उर्फ वीर सिंह तथा निर्भय सिंह का नाम लिया गया है कि वह घटनास्थल पर मौजूद थे इसलिए नक्शा नजरी से अभियोजन कथानक को समर्थन नहीं मिलता है। इस प्रकार अभियोजन के द्वारा मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य से घटनास्थल तो साबित होता है, परन्तु घटना अभियुक्तगण पप्पू उर्फ वीर सिंह एवं निर्भय सिंह द्वारा की गयी है, साबित नहीं होता है।

53. जहां तक द्वितीय नक्शा नजरी सत्र वाद संख्या 53/2017 नक्शा नजरी कागज संख्या 8 क/1 में स्थान दर्शाया गया है जहां से तमंचा खोदकर निकाला गया है यह सत्य है कि अभियुक्त पप्पू उर्फ वीर सिंह की निशानदेही पर यह तमंचा बरामद किया गया है परन्तु जिस समय यह तमंचा बरामद कराया गया है अभियुक्त पप्पू उर्फ वीर सिंह जिला कारागार में निरूद्ध था तथा जिस समय पुलिस द्वारा यह बरामदगी की गयी उस समय जनता का कोई साक्षी वहां नहीं था। अतः हथियार की बरामदगी से यह साबित नहीं होता है कि घटना अभियुक्त पप्पू उर्फ वीर सिंह द्वारा की गयी है क्योंकि बरामद तमंचे को जांच के लिये विधि विज्ञान प्रयोगशाला नहीं भेजा गया। अतः नक्शा नजरी प्रदर्श क–10 से घटना साबित नहीं होती है।

<u>तमंचा बरामदगी</u>

54. **एस.आई. वीर बहादुर सिंह** द्वारा दिनांक 09.07.2009 को एस.एस.आई. विजय कुमार सिंह के साथ का० हमराह 419 सुहेब आलम सिद्दकी मय जीप सरकारी UP79G008 चालक रामऔतार के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट औरैया के आदेश दिनांक 08.07.2009 के जेल में निरूद्ध अभियुक्त पप्पू उर्फ वीर सिंह को लेने जिला कारागार इटावा पहुंच कर न्यायालय के आदेश के अनुसार पप्पू उर्फ वीर सिंह को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया जिसकी निशानदेही पर आलाकतल बरामद किया गया, जिसकी फर्द प्रदर्श क–4 मौके पर तैयार की गयी।

55. दिनांक 09.07.19 को एस.आई. वीर बहादुर सिंह, एस.एस.आई. विजय कुमार सिंह व उनके हमराहीयान 419 सुहेब आलम सिद्दकी ने अभियुक्त पप्पू उर्फ वीर सिंह को हिरासत पुलिस में लेकर उसकी निशानदेही पर सिकरोरी के तरफ नाले के किनारे किसी खेत में रामेश्वर के मेढ़े के किनारे शीशम के पेड़ जो खड़ा हुआ था, उसके नीचे मिट्टी खोदकर एक अदद तमंचा व कारतूस पन्नी में लिपटे हुये बरामद किये। उस तमंचे की लम्बाई आठ अंगुल नाल लोहे की पांच अंगुल, लोहे की बेदी के अगल–बगल चाप लकड़ी का लगा हुआ था। तमंचा समय 14.30 बजे बरामद किया था। बरामद माल को शील सर्व कर एक कपड़े में रखकर नमूना मोहर तैयार किया गया था। फर्द प्रदर्श क–4 मौके पर तैयार की गयी।

56. अभियुक्त पप्पू उर्फ वीर सिंह की निशानदेही पर तमंचे व कारतूस बरामद हुए है। ज्ञातव्य है कि अभियुक्तगण द्वारा तमंचे से गोली मारकर मृतका की हत्या करने का आरोप है। फर्द बरामदगी प्रदर्श क–4 साक्षी ने अपने साक्ष्य में कहा है कि फर्द उसके सामने तैयार की गयी थी जिस पर उसके हस्ताक्षर है। विवेचक ने न्यायालय के समक्ष अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि आला कतल तमंचा 315 बोर व दो अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर का सीलबण्डल आज न्यायालय

के समक्ष मौजूद है, न्यायालय के आदेश से खोला तो सीलबण्डल के अन्दर से एक तमंचा 315 बोर व दो कार्टेज जिन्दा 315 बोर निकले। साक्षी ने देखकर कहा यह वही कट्टा है जिसको पप्पू के निशानदेही पर बरामद कर मौके पर ही सीलसर्व मोहर किया गया जिसकी वह पहचान पुष्टि करता है, कट्टे पर वस्तु प्रदर्श–1, दोनों कार्टेज पर वस्तु प्रदर्श–2 व 3 तथा सीलबण्डल कपड़े पर वस्तु प्रदर्श–4 डाला गया। एस.एस.आई. विजय कुमार सिंह की मृत्यु हो चुकी है उनकी मृत्यु प्रमाणपत्र की छायाप्रति आज उसके सामने है। एस.एस.आई. विजय कुमार सिंह द्वारा ही अपराध संख्या 145/2009 अन्तर्गत धारा 25 ए एक्ट बनाम पप्पू उर्फ वीर सिंह की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी थी। एस.एस.आई. विजय कुमार सिंह उसके साथ तैनात रहे है। उसने उनको लिखते पढ़ते देखा है, वह उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर की पहचान करता है। प्रदर्श क–5 एस.एस.आई. विजय कुमार सिंह के हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, वह उनकी हस्तलेख व हस्ताक्षर की पहचान व पुष्टि करता है। अभियुक्त पप्पू उर्फ वीर सिंह ने अपराध स्वीकार करते हुए तमंचे बरामद कराने का कथन किया है। अभियुक्त पप्पू उर्फ वीर सिंह की संस्वीकृति कथन के आधार पर अभियुक्त पप्पू उर्फ वीर सिंह की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तमंचे व कारतूस बरामद किए गए। इस बरामदगी को बचाव पक्ष की ओर से संदिग्ध बनाने के लिए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि बरामदगी फर्जी है। अभियुक्त पप्पू उर्फ वीर सिंह की निशानदेही पर कोई बरामदगी नहीं हुई है। बरामदगी का कोई जन साक्षी नहीं है। बरामदगी साबित करने वाले पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

57. न्यायालय के समक्ष साक्षी पी.डब्लू.–8 वीर बहादुर सिंह ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि अमावता व जाजपुर में एस०एस०आई० साहब ने जनता को कोई गवाह नहीं लिये थे। इसके पहले मुल्जिम ने जीप में ही तमंचा वाली जगह बता दी थी। इस सम्बन्ध में एस०एस०आई० साहब ने अमावता व जाजपुर में जनता का कोई गवाह तलाश नहीं किया।अमावता से लगभग तीन किलोमीटर दूर नाला है, जाजपुर के आगे है, वह सड़क चालू है वहां लोगों का आना जाना रहता था।अभियुक्त का हस्ताक्षर माल बण्डल पर कराया गया था या नहीं, वह नहीं बता सका। गवाह को माल बण्डल दिखाया गया उस पर अभियुक्त के हस्ताक्षर नहीं पाये गये। इस तर्क के प्रकाश में फर्द बरामदगी के अवलोकन से प्रकट होता है कि पुलिसवालों द्वारा जनसाक्षी लेने का प्रयास नहीं किया गया। अतः जनसाक्षी लेने का प्रयास नहीं किये जाना इस आधार पर साक्षी के साक्ष्य को लापरवाही माना जाएगा।

58. अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराये गये **पी.डब्लू.–12 उपनिरीक्षक सर्वेश कुमार ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है** कि वह दिनांक 09.07.2009 को थाना अजीतमल जनपद औरैया पर H.M. के पद पर थाना औरैया में कार्यलेख के पद पर तैनात था उसी दिनांक को एस.एस.आई. विजय कुमार सिंह द्वारा एक फर्द बरामदगी एक अदद तमंचा 315 बोर व दो अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर (आला कतल) सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या 17/2009 धारा 302/120 बी IPC थाना अजीतमल जनपद औरैया FIR पंजीकृत करने हेतु उसके समक्ष प्रस्तुत की थी। उसने उसी फर्द बरामदगी को शब्द व शब्द अंकित कर चिक FIR संख्या 130/2009 किता करके मुकदमा अपराध संख्या 145/2009 बनाम पप्पू उर्फ वीर सिंह पुत्र छोटे नाथू सिंह निवासी ग्राम जाजपुर खुर्द थाना अजीतमल जिला औरैया अन्तर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम में कायम किया था व चिक FIR इस प्रकरण से सम्बन्धित ST No. 53/2017 पर मौजूद कागज संख्या 4 क/1 के रूप में आज उसके सामने है जो उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है जिसकी वह पहचान पुष्टि करता है जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया। इस प्रकरण का खुलासा उसने जी.डी. के रपट नं. 34 समय 16.35 बजे दिनांक 09.07.2009 को मूल के साथ कार्बन लगाकर एक ही प्रक्रिया में अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में किया था। मूल कायमी जी.डी. की कार्बन प्रति ST N. 53/2017 पर मौजूद कागज संख्या 6 क/1 के रूप में द्वारा V.C.आज उसके सामने है जो हस्तलेख व हस्ताक्षर की कार्बन प्रति है जिस पर थाना अजीतमल की मुहर अंकित है जिसकी वह पहचान पुष्टि करता है जिस पर प्रदर्श क–9 डाला गया। कायमी जी.डी. में उसने वादी मुकदमा द्वारा दाखिल किये गये

अभियुक्त पप्पू उर्फ वीर सिंह व उससे बरामद माल का भी हवाला अंकित किया था। विवेचनाधिकारी ने उसका बयान लिया था। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में अभिकथित किया है कि थाना अजीतमल के एस०एस०आई० विजय कुमार सिंह मुल्जिम पप्पू उर्फ वीर सिंह को जिला कारागार इटावा से सी०जे०एम० के आदेश पर लाये थे और सिकरौली बिहड़ में एक अदद तमंचा 315 बोर व दो अदद कारतूस 315 बोर बरामदगी किया था, मुकदमा पंजीकृत कराया था। इस बरामदगी में कोई जनता के गवाह नहीं दर्शाये गये। इसमें काई खोखा कारतूस बरामद नहीं हुआ है। चिक एफ०आई०आर० प्रदर्श क–8 को क्षेत्राधिकारी अजीतमल के पास दिनांक 10.09.2009 को डाक द्वारा भेजा था। यह बात सही है कि इस प्रदर्श क–8 पर क्षेत्राधिकारी अजीतमल के हस्ताक्षर है पर कोई तारीख अंकित नहीं है। उपरोक्त साक्षी के साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त से जो बरामदगी करायी गयी उस समय जनता का कोई साक्षी नहीं था तथा इस साक्षी ने खोखा कारतूस बरामद नहीं करने का कथन किया है जिससे पुलिस द्वारा की गयी बरामदगी पर प्रश्नचिन्ह लग जाता है।

59. तमंचों की बरामदगी को चुनौती देते हुए अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि तमंचो की बरामदगी का साक्षी उपनिरीक्षक धारा–25 आयुध अधिनियम के अपराध का विवेचक है। अभियोजन द्वारा तमंचे की बरामदगी के अपराध की विवेचना विवेचक एस.आई. विजेन्द्र सिंह भदौरिया ने की थी उसे न्यायालय के समक्ष **पी.डब्लू.–13 साक्षी के रूप में परीक्षित कराया गया। पी.डब्लू.–13 एस.आई. विजेन्द्र सिंह भदौरिया ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि** वह दिनांक 09.07.2009 को थाना अजीतमल जनपद औरैया पर SI के पद पर तैनात था। उसी दिनांक में उसने थाना अजीतमल जनपद औरैया पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 145/2009 बनाम पप्पू उर्फ वीर सिंह अन्तर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम की विवेचना ग्रहण कर दिनांक 20.08.2009 को विवेचना पूर्ण की थी। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह अभिकथित किया है कि उसने फर्द बरामदगी में जनता के गवाह दर्शाये गये या नहीं, उसे याद नहीं है। एस०एस०आई० पी०के० सिंह का बयान लिया था, उसमें भी जनता का कोई गवाह नहीं दर्शाया गया है। उसने बरामद तमंचा व कारतूस किसी एक्सपर्ट के पास नहीं भिजवाया था कि यह तमंचा चालू हालत में है या नहीं। डी०एम० साहब से उसने मुकदमा चलाने की स्वीकृति ली थी। उसे यह जानकारी नहीं है कि एच०एम० 22 सर्वेश कुमार जीवित है या नौकरी में है, उसे इस समय पता नहीं है। यह कहना है कि वादी मुकदमा पी०के० सिंह के मातहत होने के नाते गलत विवेचना करके झूठा आरोप पत्र अभियुक्त के खिलाफ लगाया है।

60. धारा–25 आयुध अधिनियम के वादी इस प्रकार विवेचक उपनिरीक्षक धारा–25 आयुध अधिनियम के वादी थानाध्यक्ष थाना अजीतमल का अधीनस्थ है। अतः स्पष्ट है कि विवेचना निष्पक्ष नहीं की गयी है। इस तर्क के प्रकाश में उल्लेखनीय है कि यह बात सही है कि तमंचों की बरामदगी के वादी थानाध्यक्ष है। धारा–25 आयुध अधिनियम के अपराध के विवेचक तमंचों की बरामदगी के स्वतंत्र साक्षी हैं। साथ ही थानाध्यक्ष थाना अजीतमल के अधीनस्थ हैं और उनके द्वारा धारा –25 आयुध अधिनियम के अपराध की विवेचना की गयी है। विवेचक द्वारा दोषपूर्ण विवेचना किये जाने का लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

61. यह विधि निर्धारित है कि आपराधिक मामलों में अभियुक्त द्वारा हथियार या किसी अन्य सामग्री की बरामदगी का साक्ष्य के रूप में बहुत सीमित, लेकिन महत्वपूर्ण महत्व होता है। इसे मुख्य रूप से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत नियंत्रित किया जाता है। पुलिस हिरासत में रहने के दौरान अभियुक्त द्वारा दी गई कोई भी बात सीधे तौर पर अपराध की स्वीकृति नहीं मानी जाती है और न्यायालय में inadmissible (अस्वीकार्य) होती है, लेकिन इस धारा के अनुसार, यदि अभियुक्त की दी गई जानकारी से कोई नई बात या भौतिक वस्तु (जैसे हथियार) खोज निकाली

जाती है, तो उस जानकारी का केवल उतना ही हिस्सा न्यायालय में सबूत के रूप में स्वीकार्य होता है, जो सीधे तौर पर उस खोज से जुड़ा हो कानून के अनुसार, "खोजा गया तथ्य" केवल वह हथियार नहीं है, बल्कि उस छिपे हुए हथियार के स्थान का पता चलना और उस स्थान की जानकारी अभियुक्त के पास होने का सबूत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार, हथियार की बरामदगी मात्र यह साबित नहीं करती कि अभियुक्त ने ही उस अपराध को अंजाम दिया था बरामद किए गए हथियार का अपराध से जुड़ा होना साबित करना जरूरी है, इसके लिए हथियार पर लगे खून और मृतक के खून का डीएनए मैच होना चाहिए, यदि हथियार किसी ऐसी जगह (जैसे सार्वजनिक स्थान) से बरामद होता है जहाँ कोई भी व्यक्ति आसानी से आ-जा सकता है, तो अभियुक्त द्वारा की गई खोज का साक्ष्य न्यायालय में कमजोर माना जाता है, हथियार की बरामदगी अभियुक्त की जानकारी के परिणामस्वरूप छिपी हुई वस्तु को बाहर लाने का एक पुख्ता सबूत है धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत, लेकिन यह अपने आप में दोषी ठहराने का आधार नहीं है। दोषसिद्ध करने के लिए उस हथियार का उस विशेष अपराध में इस्तेमाल होना वैज्ञानिक जांच (फोरेंसिक रिपोर्ट) से सिद्ध होना आवश्यक है।

62. **Hon'ble Apex court** held in **Govind v. State of Haryana, 2025 SCC OnLine SC 2456, decided on 14-11-2025** that Further scrutinized the recovery, held that the pistol was found in an unlocked iron box in appellant's house, a place accessible to multiple people, and without any independent witnesses during the search. The Court emphasised that the extent to which such recovery can be relied upon to establish the appellant's guilt requires careful scrutiny in light of judicial precedents. The prosecution has not established that the said recovery distinctly relates to the commission of the offence or that the weapon so recovered was the same which was used to commit murder so as to constitute a relevant fact distinctively related to the disclosure. The chain of recovery linking the seizure, storage, and deposit of the material exhibits was incomplete and not duly proved. It held that, "Though the FSL report indicates that the pistol and cartridges recovered correlate with the bullets found in the body of the deceased, such evidence by itself is not sufficient to establish the appellant's guilt in the absence of any proof that the recovered pistol was indeed used in the commission of the offence."

63. उपरोक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित विधि व्यवस्थाओं के अनुसार अभियोजन यह साबित करने में विफल रहा है कि जो हथियार /तमंचा अभियुक्त पप्पू उर्फ वीर सिंह की निशानदेही पर बरामद किया गया था उससे उसके द्वारा मृतक महावीर की हत्या की गयी है।

64. बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विवेचक द्वारा त्रुटिपूर्ण विवेचना की गयी है। अभियुक्तगण पप्पू उर्फ वीर सिंह एवं निर्भय सिंह को झूठा नामजद किया गया है। वादी मुकदमा एवं तथ्यों के अन्य साक्षीगण द्वारा घटना में अभियुक्तगण पप्पू उर्फ वीर सिंह एवं निर्भय सिंह का मौजूद होना नहीं बताया गया है। घटनास्थल पर जो नक्शा नजरी तैयार किया गया है उसमें वादी मुकदमा ने अभियुक्तगण पप्पू उर्फ वीर सिंह एवं निर्भय सिंह की मौजूदगी नहीं बतायी है। एस. आई. अलमा अहिरवार के द्वारा उसने मौके पर रहकर पंचायतनामा चिट्ठी आर. आई., चिट्ठी, सी. एम. ओ., फोटोलाश, चालानलाश भी तैयार कराये थे। उसमें भी अभियुक्तगण पप्पू उर्फ वीर सिंह एवं निर्भय सिंह का नाम नहीं आया था। पंचायतनामा के गवाह मेहताब सिंह ने पप्पू उर्फ वीर सिंह एवं निर्भय सिंह का नाम नहीं लिया। विवेचक द्वारा मौके से खून आलूदा मिट्टी मौके से कब्जे पर ली गयी जिसे फर्द क-5 के रूप में साबित किया गया है उससे भी अभियोजन कथानक साबित नहीं होता है। विवेचक द्वारा बरामद तमंचे व कारतूस को विधि विज्ञान प्रयोगशाला नहीं भेजना अपने आप में लापरवाही का द्योतक है, जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना चाहिए। अभियोजन द्वारा उपरोक्त तर्क का खण्डन किया गया तथा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि विवेचना में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है इसलिए अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाना चाहिए। इस न्यायालय द्वारा अभियोजन

द्वारा प्रस्तुत साक्षी पी.डब्लू.–11 सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक श्रीकृष्ण के बयान का परिशीलन किया गया।

65. **पी.डब्लू.–11 श्रीकृष्ण ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है** कि वह दिनांक 28.01.2009 को थाना अजीतमल जनपद औरैया पर प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात था। उसी दिनांक को थाना अजीतमल पर पंजीकृत अपराध संख्या–17/2009 बनाम मान सिंह अंतर्गत धारा–302 IPC की विवेचना ग्रहण कर दिनांक 30.01.2009 तक की थी। उसने अपनी विवेचना में सी. डी. पर्चा 01 लगायत सी. डी. के पर्चा 03 तक किता किये थे। विवेचनाक्रम में उसने सी. डी. पर्चा 01 लगायत सी. डी. के पर्चा 03 में नकल तहरीर हिन्दी वादी नकल रपट नंबर 25 समय 21.15 बजे बयान FIR लेखक H.C. 15 मंगूलाल तथा थाना हाजा से एस. आई. अलमा अहिरबार के साथ घटना स्थल पर पहुंचने संबन्धी विवरण तथा घटना स्थल पर जहां पर मृतक की लाश पड़ी थी। वहां पर मृतक के परिजन व काफी गांव वाले मौजूद थे। रोशनी की उचित व्यवस्था नहीं थी। जिस कारण मौके पर का० मंशाराम व का० चन्द्रभान वाजपेयी को छोड़कर अभियुक्त मान सिंह की गिरफ्तारी हेतु उसके घर पर गया था। तो घर पर ताला लगा था। संभावित स्थानों पर जानकारी करते हुए घटना स्थल पर पुनः पहुँच कर एस. आई. अलमा अहिरवार को निर्देशित कर पंचायतनामा की कार्यवाही करवायी थी। एस. आई. अलमा अहिरवार के द्वारा उसने मौके पर रहकर पंचायतनामा चिट्ठी आर. आई., चिट्ठी, सी. एम. ओ., फोटोलाश, चालानलाश भी तैयार कराये थे। वह पंचायतनामा पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 8 क/1 लगायत 8 क/2 व चिट्ठी आर. आई. 9 क/1, व चिट्ठी सी. एम. ओ. 9 क/2, फोटोलाश 9 क/3 व चालानलाश 9 क/4 के रुप में द्वारा वी. सी. आज उसके सामने है, जो एस. आई. अलमा अहिरवार के हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी वह पहचान पुष्टि करता है जिनमें से पंचायतनामा पर प्रदर्श क–3 पहले से डाला जा चुका है। शेष प्रपत्रों पर क्रमशः प्रदर्श क– 8, प्रदर्श क– 9, प्रदर्श क– 10, प्रदर्श क– 11, डाला गया। इसके उपरांत वादी मुकदमा देवेन्द्र सिंह का बयान अंकित किया तथा वादी मुकदमा की निशादेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नकशा नजरी तैयार किया था। वह नकशा नजरी पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 13 क/1 के रुप में द्वारा वी. सी. आज उसके सामने है, जो उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी वह पहचान पुष्टि करता है जिस पर प्रदर्श क– 12 डाला गया। इसके उपरांत समायी साक्षीगण समशाद व वीर सिंह व फिरंगी सिंह के बयान अंकित किये तथा इसके उपरांत एस. आई. राजेश सिंह से मृतक का खूनआलूदा व सादा मिट्टी व बुलट व खोखा कारतूस अलग अलग सील करने तथा फर्द तैयार करने हेतु निर्देशित किया था तथा एस. आई. राजेश सिंह ने फर्द उसके बोलने पर की थी तथा खून आलूदा व सादा मिट्टी व बुलट व कारतूस को अलग अलग कागजों में लपेटकर उनपर चिटबंदी कर अलग अलग कपड़ों में रखकर सिलकर शीलसर्व मोहर कराया था। खोखा कारतूस 315 बोर व एक कारतूस का बुलट (अगला हिस्सा) की फर्द पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 7 क/1 व मिट्टी खून आलूदा सादा मिट्टी कागज संख्या–7 क/2 के रुप में द्वारा वी. सी. आज उसके सामने है, जिन पर क्रमशः पूर्व में प्रदर्श क– 4 व प्रदर्श क–5 डाला जा चुका है। दोनों फर्दे उसने मौके पर ही बोलबोलकर एस. आई. राजेश सिंह भदौरिया से तैयार करायी थी। इसके उपरांत पुनः अभियुक्त की तलाशी व दबिश संबन्धी विवरण तथा मृतक महावीर सिंह की पी. एम. रिपोर्ट का अवलोकन कर संलग्न सी. डी. किया था तथा पुनः अभियुक्त के संभावित स्थानों पर दबिश व तलाश संबन्धी विवरण अंकित किया था। मुखबिर ने बताया था कि यमुनापार कहीं छिपा था। इसके उपरांत इस प्रकरण की विवेचना उसके स्थानान्तरण के कारण अन्य विवेचक के द्वारा की गयी। इस मुकदमे से सम्बन्धित माल के तीन शीलबन्डल आज न्यायालय के समक्ष मौजूद है तथा द्वारा वी.सी.उसके सामने जिनमें से एक बण्डल कपड़े का शील जिस पर एक खोखा कारतूस व बुलेट सम्बन्धित माल मुकदमाती व अपराध संख्या 17/2009 अंकित है जिसको न्यायालय की अनुमति से खोला गया तो उसके अन्दर से कागज में रखा एक बुलेट व एक खोखा कारतूस निकले जिनको देखकर साक्षी ने कहा इनको उसने घटनास्थल से बरामद करके शील सर्व मुहर किया था जिसकी वह पहचान पुष्टि करता है। बुलेट पर वस्तु प्रदर्श –5, खोखा

कारतूस पर वस्तु प्रदर्श–6 तथा शीलबण्डल कपड़े पर वस्तु प्रदर्श–7 डाला गया तथा अन्य दो शीलबण्डल जिन पर एक पर जिसमें मिट्टी खून आलूदा मृतक महावीर व सादा मिट्टी मृतक महावीर सिंह अपराध संख्या 17/2009 दोनों बंडलों पर अंकित है तथा अन्य विवरण और उसके हस्ताक्षर है जिनको न्यायालय की अनुमति से खोले गये तो खून आलूदा मिट्टी डिब्बे के अन्दर से निकली जिसको देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही खून आलूदा मिट्टी है जिसको उसने घटनास्थल से लेकर शील सर्व मुहर किया था जिसकी वह पहचान पुष्टि करता है। मिट्टी पर वस्तु प्रदर्श –8, डिब्बे पर वस्तु प्रदर्श–9 व शीलबण्डल कपड़े पर वस्तु प्रदर्श–10 तथा सादा मिट्टी का शीलबण्डल न्यायालय की अनुमति से खोला गया तो उसके अन्दर डिब्बे में मौजूद मिट्टी को देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही मिट्टी है जिसको उसने घटनास्थल से लेकर शील सर्व मुहर किया था जिसकी वह पहचान पुष्टि करता है। सादा मिट्टी पर वस्तु प्रदर्श–11, डिब्बे पर वस्तु प्रदर्श–12 व कपड़े पर वस्तु प्रदर्श–13 डाला गया। **इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया** है कि यह सही है कि वस्तु प्रदर्श 11, 12, 13 पर राज्य बनाम अंकित नहीं है। दूसरा डिब्बा खून आलूदा मिट्टी प्रदर्श 8, 9, 10 पर राज्य बनाम अंकित नहीं है। उसने मुदकमा वादी देवेन्द्र सिंह का बयान गांव में लिया था। उसने अपने बयान में केवल भान सिंह द्वारा गोली मारना बताया और किसी का नाम नहीं बताया है। कारतूस डेड बॉडी के उत्तर तरफ मिला था। यह सही है कि C स्थान पर खोखा कारतूस मिलना दिखाया गया है, परन्तु उसकी दिशा अंकित नहीं है। B स्थान पर अभियुक्त द्वारा मृतक पर कई फायर करना बताया गया है, लेकिन मौके पर एक ही खोखा कारतूस बरामद होना बताया है। उसने अपनी विवेचना के दौरान खोखा कारतूस की जांच के लिये कहीं नहीं भेजवाया था तब तक उसका स्थानान्तरण हो गया। यह सही है कि विवेचना उसने 28.01.2009 को शुरू की थी, परन्तु समय अंकित नहीं है। यह सही है कि उसने दिनांक 30.01.2009 तक विवेचना की है। इसके बाद उसका स्थानान्तरण हो गया। तहरीर के लेखकर राजा सिंह पुत्र फेरन सिंह हैं। अपनी विवेचना के दौरान उसने उनका बयान नहीं लिया था। उपरोक्त साक्षी के साक्ष्य के परिशीलन के उपरान्त यह स्पष्ट है कि विवेचना में त्रुटि की गयी है। बरामद खोखा कारतूस एवं तमंचे को विधि विज्ञान प्रयोगशाला नहीं भेजना घोर लापरवाही का सूचक है।

66. (i) Hon'ble Supreme court held in **Sidhartha Vashisht @ Manu Sharma VS State (NCT of Delhi) - 2010 3 Supreme 190** that The FSL provides scientific validation for prosecution claims. **Under Section 27 of the Indian Evidence Act, 1872**, recoveries based on accused disclosures are admissible only if they lead to fact discovery. FSL reports confirm if empties, bullets, or stains match the weapon or victim. Failure to send weapons to FSL creates a **major investigative lacuna**, raising doubts on chain of custody and tampering risks. However, courts assess this in context of overall evidence.

(ii) Hon'ble Supreme court held in **Jatinder Singh VS State of Punjab - 2016 Supreme (P&H) 2721** that in a murder trial, sword and baseball bat recovered per disclosure weren't FSL-tested for blood. Court noted: Those weapons were not sent to FSL to find out as to whether they were having any human blood stains thereon—This is a major lacuna.

67. पत्रावली पर उपलब्ध फर्द बरमदगी खोखा कारतूस व खूनालूदा मिट्टी व अन्य प्रलेखीय साक्ष्य से अभियोजन कथानक साबित नहीं होता है। पी0 डब्लू0–1 व पी0 डब्लू0–2 के साक्ष्य अभियोजन के विरूद्ध है। साक्षी पी0 डब्लू0–1 व पी0 डब्लू0–2 का साक्ष्य पूर्णतया विष्वसनीय है। अभियुक्तगण पप्पू उर्फ वीर सिंह एवं निर्भय सिंह द्वारा घटना कारित नहीं की गयी क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट एक त्वरित रिपोर्ट होती है जिसे घटना के तुरन्त बाद दर्ज कराया जाता है। वादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्तगण पप्पू उर्फ वीर सिंह एवं निर्भय सिंह को नामजद नहीं किया गया है यह कैसे सम्भव है कि जिसके भाई की हत्या अभियुक्तगण पप्पू उर्फ वीर सिंह एवं निर्भय सिंह द्वारा की गयी हो उन्हें प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामांकित नहीं किया गया हो। वादी घटना का चक्षदुर्शी

साक्षी है उसने स्वयं घटना अपनी आंखों से देखी है तथा मुख्य परीक्षा में यह बताया है कि अभियुक्तगण पप्पू उर्फ वीर सिंह एवं निर्भय सिंह द्वारा घटना कारित नहीं की गयी है। अभियोजन के साक्षी पी.डब्लू.–1 का साक्ष्य एवं अन्य तथ्यों के साक्षीगण के साक्ष्य एवं परिस्थितिय साक्ष्य में समानता है तथा यह साबित नहीं होता कि अभियुक्तगण पप्पू उर्फ वीर सिंह एवं निर्भय सिंह द्वारा मृतक महावीर की हत्या की गयी हो।

आदेश

1. सत्र वाद सं०–**52/2017**, मु०अ०सं०–**17/2009**, थाना–**अजीतमल**, जनपद–औरैया में अभियुक्तगण **पप्पू उर्फ वीर सिंह** पुत्र छोटे नाथू सिंह निवासी जाजपुर थाना अजीतमल, औरैया एवं **निर्भय सिंह** पुत्र दर्शन सिंह निवासी जाजपुर थाना अजीतमल, औरैया को धारा **302 सपठित धारा 120 बी भा.दं.सं.** में साक्ष्य के अभाव में **दोषमुक्त** किया जाता है।

2. सत्र वाद सं० –**53/2017**, मु०अ०सं०–**145/2009**, थाना–**अजीतमल**, जनपद–औरैया में अभियुक्त **पप्पू उर्फ वीर सिंह** पुत्र छोटे नाथू सिंह निवासी जाजपुर थाना अजीतमल, औरैया को धारा **25 शस्त्र अधिनियम** में साक्ष्य के अभाव में **दोषमुक्त** किया जाता है।

3. अभियुक्तगण जमानत पर है। उनके बंधपत्र एवं जमानतनामें निरस्त किए जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

4. अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि यदि इस निर्णय के विरूद्ध कोई अपील योजित की जाती है तो अभियुक्तगण धारा–437 ए दं०प्र०सं० के अनुपालन में निष्पादित जमानतनामें तथा बन्धपत्र के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में उपस्थित होगे। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किये गये उक्त बंधपत्र व प्रतिभूपत्र अग्रिम 6 माह की अवधि तक प्रभावी रहेगें।

5. प्रकरण से सम्बन्धित माल मुकदमा अपील की अवधि तक सुरक्षित रखे जाये और अपील न होने की दशा में मामले से सम्बन्धित आयुध व खोखा कारतूस नियमानुसार नष्ट किये जाये व जिन्दा कारतूस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त किये जायें। अपील होने की दशा में उक्त समस्त माल मुकदमा माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार निस्तारित किये जायेंगे।

6. इस निर्णय की एक प्रति सत्र परीक्षण संख्या–53/2017 की पत्रावली पर रखी जाए।

7. पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांक–09.07.2026

(पारूल जैन)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
औरैया।

आज यह निर्णय व आदेश खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–09.07.2026

(पारूल जैन)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
औरैया।